ॐ

निन्दन्तु नितिनिपुणा यदि वा स्तुन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अधैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ।। भर्तृहरिः ।।

बुलेटिन

BULLETIN

अप्रैल,2011 - मार्च,2012

सुलभ न्यायः ।
SULABHA NYAYA : I

सत्वर न्यायः ।।
SATVAR NYAYA: II

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

आयकर अपीलीय अधिकरण
INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

विधि एवं न्याय मंत्रालय
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(विधि कार्य विभाग)
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

चतुर्थ मंजिल, पुराना केंद्रीय सरकार कार्यालय भवन,
FOURTH FLOOR, OLD CENTRAL GOVERNMENT OFFICES BUILDING,
101, महर्षि कर्वे मार्ग,
101, MAHRSHI KARVE MARG,
मुंबई - 400 020
MUMBAI - 400 020.

केवल विभागीय प्रयोजन हेतु
ONLY FOR DEPARTMENTAL PURPOSE

विवरणिका

क्रमांक	***विवरण***	***पृष्ठ संख्या***
1.	*अध्यक्ष का संदेश*	*3-6*
2.	*राजभाषा अध्यक्ष, मुंबई का संदेश*	*7-8*
3.	*तनावः सभी रोगों की जड़* — *श्री जोगिन्दर सिंह, न्यायिक सदस्य, इंदौर ।*	*9-10*
4.	*स्वस्थवृत्त-सूत्र* — *श्री जोगिन्दर सिंह, न्यायिक सदस्य, इंदौर ।*	*11-12*
5.	*तृप्तिपूर्ण जीवन यापन* — *श्री जयदेव कश्यप, सेवानिवृत्त सदस्य ।*	*13-15*
6.	*सुनहरी यादें* — *श्री कौशल कुमार, सहायक पंजीकार, कोलकाता ।*	*16-18*
7.	*स्याद्वाद*	*18*
8.	*अंतरीय पर्यावरण* — *श्री सी.एल. सिंह, वरिष्ठ निजी सचिव, लखनऊ ।*	*19-22*
9.	*आत्मविश्वास* — *श्री मनीष भोई, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुंबई ।*	*22*
10.	*स्वामी विवेकानंद का विश्व प्रसिद्ध भाषण* — *संकलन- श्री मनीष भोई, मुंबई ।*	*23-24*
11.	*प्रत्याहार* — *श्री मनीष भोई, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुंबई ।*	*24*
12.	*विश्वास* — *उल्का परब, प्रधान लिपिक, मुंबई ।*	*25*
13.	*विश्वास का रिश्ता* — *सुश्री आशा पाल, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुंबई ।*	*26-28*
14.	*रिश्तों का उत्पीड़न* — *श्री अशोक सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर ।*	*29-30*
15.	*गजल* — *श्री अशोक सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर ।*	*30*
16.	*सियाचिन*	*30*
17.	*हिंदी भाषा* — *श्रीमती गीता मिश्रा, अवर श्रेणी लिपिक, लखनऊ ।*	*31*
18.	*विचार*	*31*
19.	*अंतर* — *श्रीमती गीता मिश्रा, अवर श्रेणी लिपिक, लखनऊ ।*	*32*
20.	*संकल्प की शक्ति*	*32*
21.	*राजभाषा "हिंदी" को बढ़ाने के उपाय* — *श्री तरुण कुमार, अवर श्रेणी लिपिक श्रेणी लिपिक, मुंबई ।*	*33-35*
22.	*विपदाएं*	*35*
23.	*चोर ने दिखाया आईना* — *श्री राजेश रंजन, चपरासी, कोलकाता ।*	*36*
24.	*किताबें* — *श्री राजेश रंजन, चपरासी, कोलकाता ।*	*36*

25.	*न्यायिक आदेश का हिंदी अनुवाद*	*श्री मनीष भोई, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुंबई ।*	*37-43*
26.	*न्यायिक आदेश का हिंदी अनुवाद -*	*श्री मनोज कश्यप, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, इलाहाबाद ।*	*44-46*

****

संरक्षक

अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण ।

एवं

अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई ।

संपादक

श्री मनीष भोई, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुंबई ।

टंकक
श्री तरुण कुमार,
अवर श्रेणी लिपिक, मुंबई ।

मुद्रण
श्री संजय मिस्त्री,
चपरासी, मुंबई ।

प्रकाशन स्थलः- हिंदी अनुभाग, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें, मुंबई ।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय भाईयों एवं बहनों,

मुझे मेरे साथियों तथा आयकर अपीलीय अधिकरण के कर्मचारियों को नीचे दी गई जानकारी देते हुए खुशी हो रही है क्योंकि यह हमें अपने संस्थान के विषय में गौरव का अनुभव करवाता है ।

जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में दिनांक 23.02.2012 को 13 नये सदस्यों ने आय.अपी.अधि., मुंबई पीठ में कार्यभार ग्रहण किया है तथा उन्हे दिनांक 23.02.2012 से 23.03.2012 तक गहन प्रशिक्षण दिया गया एवं सभी नये सदस्यों ने अपने नये स्थानों पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है । अधिकरण के इतिहास में पहली बार ऐसा गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकांउटेंटस ऑफ इंडिया, मुंबई के सहयोग से उनके WIRC परिसर में आयोजित किया गया । मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के कार्यक्रम नवनियुक्त सदस्यों की क्षमता और प्रयोज्यता को बढ़ायेंगे एवं लंबे समय तक संस्थान की छवि को प्रखर रखेंगे । मैं उन सभी को जिन्होने प्रशिक्षण की योजना बनाई, उसे कार्यान्वित किया तथा उन सभी विद्वानों को जिन्होंने हमारे नवनियुक्त सदस्यों को प्रशिक्षण दिया, सच्चे मन से धन्यवाद देता हूं ।

उपाध्यक्ष (मुंबई क्षेत्र) ने अपने टीम के सदस्यों के साथ सुव्यवस्थित तरीके से वरिष्ठ निजी सचिव/ निजी सचिवों की भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा किया है जिनके आवेदन एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े थे । वरिष्ठ निजी सचिव/ निजी सचिवों के सफल प्रत्याशियों के नाम हमारे वेबसाइट में दिए जा चुके हैं । इस पूरी चयन प्रक्रिया की सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । इस पूरे चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संपन्न किया गया है । मैं चयन समिति के सभी सदस्यों के टीम वर्क तथा दिए गए समय के अंतर्गत इस चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिन-रात कार्य करने वाले रजिस्ट्री के पदाधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं । यह चयन प्रक्रिया 04 विभिन्न स्थानों : नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद तथा मुंबई में आयोजित किए गए थे । मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं कि सभी चयनित प्रत्याशी शीघ्र ही आय.अपी.अधि. में कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा आधारभूत चुनौतियों का सामना करने के लिए संस्था के प्रयासों को अधिक प्रभावशाली बनाएंगे ।

इस संस्थान के अध्यक्ष के रुप में मैंने महसूस किया है कि कराधान के जटिल और भारी विषयों को निपटाने के लिए हमारे सदस्यों को सतत् अध्ययन की आवश्यकता है । इस दिशा में सभी सदस्यों के लिए भोपाल के मनोरम राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है । इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सदस्य शीघ्र ही

विस्तृत जानकारी प्राप्त कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के प्रयास सामान्य रुप से आय.अपी.अधि. की कार्यपद्धति में उपलब्धियां लाएंगे ।

इनके अतिरिक्त हमने अधिकरण के इतिहास में पहली बार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर मुंबई में दिनांक 23.12.2011 को एक दिन के सेमिनार का आयोजन किया है । इस सेमिनार को केन्द्रीय सूचना आयुक्त, श्री एम.एल.शर्मा जी ने संबोधित किया था । इसमें किए गए विचार-विमर्श, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् सभी मुख्य जन-सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के लिए लाभदायक एवं हितकारी थे । यह प्रशिक्षण कार्यक्रम, सूचना के अधिकार अधिनियम को उपयुक्त तरीके से कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की जानकारियों को संवर्धित करेगा ।

यह ध्यान देने का विषय है कि अधिकरण की कुछ दूरस्थ पीठें आधारभूत सुविधाओं की कमी का सामना कर रहीं हैं तथा वे पीठें नियमित रुप से कार्यरत नहीं हैं जिससे उन स्थानों के मामलों के निपटान में समस्याएं आ रही हैं । मैंने इस समस्या के निदान के लिए ई-कोर्टस स्थापित करने की योजना बनाई है जिससे समस्त अकार्यरत पीठों को मुंबई एवं दिल्ली पीठों से NICNET Connectivity से जोड़ा जायेगा । मैं आशा करता हूं कि यह नई प्रणाली अधिकरण में न्याय प्रदान करने के तंत्र की जटिलता को सहजता में परिवर्तित करेगा तथा आप सभी यह इंगित करने में अवश्य गर्व महसूस करेंगे कि अखिल भारतीय स्तर पर आयकर अपीलीय अधिकरण ऐसा पहला संस्थान होगा जो इतने बड़े पैमाने पर इसे लागू करेगा ।

वैसे तो समस्याएं अनेक हैं किन्तु मैं प्रत्येक समस्या को एक अवसर एवं चुनौती की तरह देखता हूं तथा मैं आप सभी से अपना पूरा सहयोग देने का अनुरोध करता हूं ताकि यह संस्था और अधिक ऊंचाईयां प्राप्त कर सके ।

इसी के साथ आपको तथा आपके परिवार को मेरी ओर से शुभकामनाएं ।

(जी.ई. वीरभद्रप्पा)

अध्यक्ष

PRESIDENT'S PAGE

Dear brothers & sisters,

I feel glad to share with my colleagues and staff of the I.T.A.T. the following so that it makes you proud of the institution.

As you may be aware recently 13 new Members have joined the I.T.A.T. Mumbai Benches on 23.02.2012 and an extensive training was given to them from 23.02.2012 to 23.03.2012 and all the new Members have joined their new stations. For the first time in the history of the Tribunal such an extensive training programme was organized with the help of the Institute of Chartered Accountants of India, Mumbai at their WIRC premises. I am sure that such programmes goes to enhance the capacity and utility of the new Members and will improve the image of the institution in the long run. I sincerely thank all those who planned, executed and to all the faculty who gave the training to our new Members.

The Vice-President (MZ) with his team of Members have smartly completed the recruitment process of Sr. P.S./P.S. whose applications were pending for more than a year. The names of successful candidates of Sr. P.S/P.S. have already been displayed in our website and the entire selection process has commended a lot of respect from one and all. The transparency was the hallmark of the entire selection process. I record my appreciation for the team work done by all the Members connected with the Selection Committee and also the Officials of the Registry who have worked day and night to see that selection process is completed as per schedule given. The selection process was conducted at 4 different stations viz. New Delhi, Kolkata, Hyderabad and Mumbai. I sincerely hope all the selected candidates will join the I.T.A.T. soon and strengthen effort of the institution in meeting the infrastructure challenges.

As a President of this institution I felt that there must be a continuous education of our Members so as to enable them in handling complicated and stressful issues of taxation. In that direction we are exploring the possibility for having a residential training programme for all the Members at picturesque National Judicial Academy at Bhopal. The Members who are entrusted in that programme will come out with more details soon to make that programme successful. I am sure that such steps will bring some laurels to the functioning of the I.T.A.T. in general.

We have also conducted for the first time in the history of the Tribunal one day seminar on 23.12.2011 at Mumbai on Right to Information Act, 2005. The seminar was addressed by none other than Shri M.L. Sharma, Central Information Commissioner. The deliberations were fruitful and beneficial to all the CPIOs and the First Appellate Authorities acting under RTI Act, 2005. The training programme has enriched the knowledge of the CPIOs and the First Appellate Authorities in handling the RTI matters in a befitting manner.

It is a matter of record that the Tribunal is facing with lack of infrastructure facilities in small and distant stations and the Benches are not regularly functioning therein creating problems in disposal of those cases at that stations. I have worked out a plan for establishing E-Courts connecting all the non-functioning Benches in the first instance at Bombay and Delhi eventually wish to connect the entire Tribunal through NICNET connectivity/work. I hope this novel idea will change the complex of the justice delivery system in the Tribunal and you must all be proud to proclaim that the I.T.A.T. is the first institution to do it at such a large scale on all India basis.

The problems are many and plenty. I consider each of the problem as an opportunity and a challenge and I only request you to extend your full co-operation so that the institution can go to a great height.

I WISH YOU & YOUR FAMILY ALL THE BEST !

(G.E. VEERABHADRAPPA)
PRESIDENT

राजभाषा अध्यक्ष, मुंबई का संदेश

भारत की आधी से अधिक आबादी हिंदी बोलती है तथा देश के वे राज्य जो अहिंदी भाषी हैं, वहां भी प्रायः लोग हिंदी जानते व समझते हैं । इस प्रकार राजभाषा हिंदी पूरे भारतवर्ष की भाषा है । हमारे देश की संस्कृति, संचेतना, सामाजिक समरसता की परिचायक सदियों से राजभाषा हिंदी ही रही है । हमारे संविधान में भी ऐसा प्रावधान है कि केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा हिंदी होनी चाहिए । अतः हम हिंदी के प्रचार-प्रसार और सफल कार्यान्वयन के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है तथा राजभाषा पत्रिका "बुलेटिन" का प्रकाशन इसी दिशा में किया जाने वाला एक प्रयास है ।

केंद्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में सरल एवं सहज हिंदी के प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14011/04/2010-रा.भा. (नीति-1), दिनांक 19.07.2010 जारी किया है । इस कार्यालय ज्ञापन में यह कहा गया है कि अनुवाद में न केवल सरल व सुबोध शब्द इस्तेमाल किए जाएं बल्कि जहां तक हो सके वाक्य छोटे-छोटे बनाएं और हर शब्द का अनुवाद करने के बजाय वाक्य या उसके अंश के भाव को हिंदी भाषा की शैली में लिखें । अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के आम इस्तेमाल में आने वाले शब्दों के कठिन हिंदी शब्द बनाने की बजाय उन्ही शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखें । जैसे- टिकट, सिग्नल, लिफ्ट, स्टेशन, रेल, पेंशन, पुलिस, ब्यूरो, मेट्रो, एयरपोर्ट, स्कूल, बटन, फीस, बिल, कमेटी, अपील, ऑफिस, कंपनी, बोर्ड, गजट तथा अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द जैसे- अदालत, कानून, मुकदमा, कागज, दफ्तर, जुर्म, जमानत, तनख्वाह, तबादला, फौज, बंदूक, मोहर को उसी रुप में अपनाने से भाषा में प्रवाह बना रहेगा ।

बहुचर्चित अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी में लिप्यंतरण (Transliteration) करना कभी-कभी ज्यादा अच्छा रहता है बजाय इसके कि किसी कठिन और बोझिल शब्द को गढ़कर लिखा जाए । 'प्रत्याभूति' के स्थान पर 'गारंटी', परिदर्शक के स्थान पर 'गाइड', अनुच्छेद के स्थान पर 'पैरा', यंत्र के स्थान पर 'मशीन', मध्याह्न भोजन के स्थान पर 'लंच', व्यंजन सूची की जगह 'मैन्यू', भंडार की जगह 'स्टोर', अभिलेख के स्थान पर 'रिकार्ड', आदि जैसे प्रचलित शब्दों को हिंदी में अपनाया जा सकता है ।

इसी प्रकार संगणक के स्थान पर 'कंप्यूटर', मिसिल के स्थान पर 'फाइल', कुंजीपटल के स्थान पर 'की-बोर्ड', शब्दों का इस्तेमाल अधिक वांछनीय होगा । यदि कोई तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी ऐसा शब्द है जिसका आपको हिंदी पर्याय नहीं आता तो उसे देवनागरी में जैसे का तैसा लिख सकते हैं, जैसे इंटरनेट, वेबसाइट, पेनड्राइव, ब्लाग आदि ।

आयकर अपीलीय अधिकरण हिंदी को बढ़ावा देने तथा हिंदी में कामकाज को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा तत्पर रहा है । आयकर अपीलीय अधिकरण की सभी पीठों में प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है । इस पखवाड़े में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं । मुझे आप लोगों के साथ यह सूचना साझा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आयोजित हिंदी पखवाड़ा में आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठों में कुल 906 नकद पुरस्कार 314 विजित प्रतियोगियों के मध्य वितरित किए गए । आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई में हिंदी पखवाड़े में विजित प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार के साथ-साथ प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किया जाता है । इसी तरह अन्य पीठ भी विजित प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार के साथ-साथ प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं।

माननीय संसदीय राजभाषा की पहली उपसमिति द्वारा आयकर अपीलीय अधिकरण की पीठों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है । इसी उद्देश्य से माननीय संसदीय समिति ने आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ का नवंबर, 2011 में निरीक्षण किया । उक्त निरीक्षण अवसर पर माननीय संसदीय समिति ने निदेश दिया कि अधिकरण के प्रशासनिक कार्य हिंदी में किए जाएं । माननीय संसदीय समिति के निदेशों एवं उन्हें दिए गए आश्वासनों के अनुपालन में, मैं अधिकरण की सभी पीठों से अपील करता हूं कि वे अपना अधिकतम प्रशासनिक कार्य हिंदी में ही करने का प्रयास करें । राजभाषा हिंदी में किए जाने वाले कार्य न केवल हमारी भाषा को सुदृढ़ करेगा अपितु यह हमारे द्वारा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन होगा ।

"बुलेटिन" आयकर अपीलीय अधिकरण की ओर से राजभाषा हिंदी में प्रकाशित होने वाली एकमात्र पत्रिका है जो अधिकरण के मुख्यालय, मुंबई पीठ के हिंदी अनुभाग से प्रकाशित होती है । अधिकरण में राजभाषा हिंदी को बढ़ाने तथा हिंदी को शिखर तक पहुंचाने का यह एक प्रयास है । आयकर अपीलीय अधिकरण की कुल 63 पीठें देश के 27 विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं तथा बुलेटिन में प्रकाशन हेतु प्राप्त होने वाली प्रत्येक रचना राजभाषा हिंदी के प्रति समर्पण और प्रेम को प्रदर्शित करता है । अधिकरण के विभिन्न पीठों से प्राप्त होने वाली रचनाएं हमें अपार हर्ष देती हैं । अधिकरण के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों से मेरा आग्रह है कि वे निरंतर अपनी रचनाएं तथा सुझाव हमें भेजते रहें ताकि यह विभागीय पत्रिका उदाहरण के रुप में देखी जा सके ।

सादर,

शुभकामनाओं के साथ,

(डी.के. अग्रवाल)

अध्यक्ष,

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई ।

तनाव - सभी रोगों की जड़

श्री जोगिन्दर सिंह, इंदौर ।

भारत में ही नहीं अपितु संसार में औद्योगिक क्रांति के बाद से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन बहुत तेजी से उभर कर सामने आए हैं । औद्योगिक विकास के पूर्व समाज का बहुत बड़ा अंग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हुए खेती पर ही निर्भर रहता था । तात्कालीन समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा थी और उस सामाजिक ढांचे को संजोये रखने के लिए उनकी अपनी सामाजिक कानून-व्यवस्था थी ।

हमारे देश में औद्योगिक विकास पश्चिमी देशों की देन है जिसे भारतवर्ष में आते-आते लगभग एक शताब्दी लग गया और भारतवर्ष में इस औद्योगिक विकास का दुष्प्रभाव सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर दिखाई पड़ने लगा । छोटे कस्बे बड़े शहरों और शहर बड़े महानगरों में तब्दील होते चले गये । ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समाज के निम्न वर्ग के लोगों ने महानगरों और नगरों में मजदूर की हैसियत से शरण ली । यह उनकी अपनी मजबूरी थी क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी एवं जिम्मदारियों और खर्च का बोझ इतना ज्यादा था जिसका निर्वहन करने के लिए उनके सामने यही एक विकल्प था । समाज में धीरे-धीरे गांव से शहरों की ओर पलायन बढ़ता गया । पलायन के साथ संयुक्त परिवार अब विध्वंस की कगार पर आ चुके थे जो एक नई सामाजिक व्यवस्था को जन्म दे रही थी । यह नई व्यवस्था केन्द्रीय परिवार की थी जिसकी इकाई माता-पिता एवं उनके बच्चे होते थे । तनाव को पैदा करने में औद्योगिक विकास का यह सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि शहर में बसे हुए इस केन्द्रीय परिवार का सामाजिक वातावरण, गांव के प्राकृतिक एवं स्वच्छंद वातावरण से एकदम भिन्न था और यह भिन्नता थी - संयुक्त परिवार की अपनी कमियां होते हुए भी परिवार के हर सदस्य को भावनात्मक एवं आर्थिक सुरक्षा मिल जाया करती थी । शहरी परिवार में भावनात्मक सुरक्षा की भावना बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और इससे परिवार पर जब भी कोई भावनात्मक विपदा आई तो उससे जूझने और बचने के लिए अब संयुक्त परिवार का भावनात्मक संबल नहीं रहता है । इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि महानगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने विभिन्न प्रकार के रोगों को भी जन्म दिया है क्योंकि संसाधन तो सीमित थे परन्तु जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी । संसाधनों के अभाव के कारण ऐसे परिवार के निवास स्थान अत्यंत कम जगह में और गंदगीयुक्त हुआ करते थे । बहुत छोटी सी जगह में परिवार के कई सदस्यों को एक साथ रहना पड़ता था जिसने भावनात्मक प्रदूषण, वातावरणीय प्रदूषण और आर्थिक समस्या को भी जन्म दिया । इन सारी समस्याओं से मानव मन में असुरक्षा की भावना आने लगी और इस असुरक्षा से बचने के लिए लोगों ने व्यसन जैसी बुरी लतों का सहारा लेना शुरू कर दिया ।

भारतीय इतिहास पर नजर डालें तो पिछले लगभग पांच सौ वर्षों से हमारा देश गुलामी के शिकंजे से कभी उबर नहीं पाया था और उस पर अंग्रेजों का अतिवाद । इन सभी कारणों ने भारतीय परंपरा एवं उसकी संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर और उसके सबसे मजबूत पक्ष, जीवन जीने का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण था वह जनसाधारण से कहीं भूला और अलग-थलग सा पड़ा था । भारतवर्ष का सनातन धर्म और उसका आध्यात्मिक पक्ष किसी भी प्रकार की भावनात्मक कमी, आर्थिक समस्या या व्यक्तिगत समस्या से निपटने के लिए बहुत अच्छा एवं प्रभावी माध्यम था । आध्यात्मिक पक्ष का पुनर्जागरण भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सन् 1857 के आसपास स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी आदि के सांस्कृतिक व सामाजिक आंदोलन के बाद से हुआ । इस परंपरा को अन्य संतों द्वारा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में आगे बढ़ाया जाता रहा ।

कल्पना करें कि भारतवर्ष का पुरातन सामाजिक, आर्थिक ढ़ांचा जो भौतिकतावाद, औद्योगिक विकास, संयुक्त परिवार के विध्वंस और केन्द्रीय परिवार के गठन, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन ने जहां एक ओर भारतीय मानव मन की असुरक्षा और मन की कमजोरी को उजागर किया वहीं उसके विपरीत आध्यात्मिक पक्ष के अभाव, इस जटिल सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक पक्ष का असर मानव मन में तनाव के रुप में सामने आया ।

चिकित्सा जगत में हम यह देख सकते हैं कि इस तनाव का असर जनसंख्या पर पड़ने लगा है । उन्नीसवीं सदी एवं बीसवीं सदी के पूर्वाध में जहां समाज में संक्रमण के कारण ज्यादा मौतें होती थी वहीं बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक विकास के कारण अब मौतें कम होने लगी हैं परन्तु वहीं उन्नीसवीं सदी में जहां तनाव जनित रोग जो कम होते थे, अब निरंतर बढ़ोतरी की ओर हैं और अब हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मोटापा, हृदय रोग, पेट के रोग तथा कोलेस्ट्राल का उच्च स्तर तनाव जनित रोग हैं । इससे स्पष्ट होता है कि तनाव से मुक्त रहकर योग करते हुए दिन-चर्या और आहार-चर्या को व्यवस्थित कर स्वस्थ और सुखी जीवन जीया जा सकता है ।

****

*** नारद जी कृष्ण से पूछा - दुनिया में सब दुखी क्यों हैं ? कृष्ण ने हंसकर कहा- खुशियां तो सबके पास है, बस एक की खुशी से दूसरा परेशान है ।

*** नकारात्मक विचार एक पंचर टायर की तरह होते हैं क्योंकि जब तक आप इसे बदल नहीं देते तब तक आप कहीं पहुंच नहीं सकते ।

*** हम तभी कुछ कहें जब हमारे शब्द हमारे मौन से अधिक सार्थक हो ।

स्वस्थवृत्त सूत्र

श्री जोगिन्दर सिंह, इंदौर ।

आज के आधुनिक युग में मनुष्य को भौतिक सुख तो बहुत मिल रहे है लेकिन वह अपनी अमूल्य संपत्ति - अपना स्वास्थ्य खोता जा रहा है । स्वस्थ एवं निरोगी शरीर इंसान की पहली आवश्यकता है जिसके बिना सभी भौतिक सुख बेमानी हैं । कुछ सूत्रों का पालन करके हम भी स्वस्थ एवं निरोगी काया पा सकते हैं -

1. हित-भुक्,ऋत-भुक, मित-भुक् सूत्र का पालन करें, स्वास्थ्य के लिए हितकारी भोजन का सेवन करें, ऋतु(मौसम) के अनुसार खायें, भूख से कम भोजन करें ।
2. रात को जल्दी सोयें और प्रातःकाल जल्दी उठें । प्रतिदिन सूर्योदय से डेढ़ घंटा पूर्व उठें । सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माता-पिता एवं भारतमाता को प्रणाम करें ।
3. प्रातः उठकर 2-3 ग्लास गुनगुना पानी पीयें । गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस एवं एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से विशेष लाभ होता है या गुनगुने पानी में 2-3 चम्मच आंवला रस एवं 2-3 चम्मच एलोवीरा रस भी पी सकते हैं । सुबह खाली पेट चाय या काफी का सेवन कभी न करें ।
4. प्रातः मुंह में पानी भरकर ठण्डे जल से आंखों में छीटें मारें । अंगूठे से तालु की सफाई करने से आंख, कान, नाक एवं गले के रोग नहीं होते ।
5. प्रातः नंगे पांव हरी घास पर टहलें, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है । सप्ताह में एक दिन पूरे शरीर की सरसो तेल से मालिश करें ।
6. प्रातः दांतों को साफ करने के लिए नीम या बबूल के दातुन का प्रयोग करें तथा रात्रि को सोने से पहले तथा प्रत्येक बार भोजन लेने के बाद दांतो के बीच फंसे अन्न-कणों को ब्रश से साफ करें ।
7. नहाने के पानी में नींबू का रस मिलाकर नहाने से शरीर की दुर्गन्ध दूर होती है ।
8. प्रतिदिन शौच-स्नान के पश्चात किसी नजदीकी योगकक्षा में यौगिक जॉगिंग, योगासन, प्राणायाम आदि नियमित रुप से करें । इससे सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं तथा शरीर स्वस्थ व मन शांत रहता है और आत्मबल बढ़ता है ।
9. नाश्ते में हल्का और रेशेयुक्त खाद्य, अंकुरित फलों व दलिये का इस्तेमाल करें ।
10. सायंकाल भोजन के उपरांत कम से कम 10 मिनट तक वज्रासन में बैठें और यदि संभव हो तो रात्रि के भोजन के बाद थोड़ा भ्रमण करें ।
11. दिन में कम से कम 8 से 12 गिलास (2.5 से 3 लीटर) पानी पीयें ।
12. सदैव रीढ़(कमर) को सीधा रखकर बैठें । जमीन पर बैठकर बगैर सहारे के उठें ।
13. खाने के दौरान पानी न पीयें । खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद पानी का सेवन करें । सदैव पानी घूंट-घूंट करके पीयें ।

14. शाकाहारी, सुपाच्य, सात्विक भोजन भूख लगने पर ही चबा-चबा कर खायें । फास्ट फूट, कोल्ड-ड्रिंक, धूम्रपान व मांस-मदिरा का प्रयोग न करें । भोजन करते समय मौन रहें तथा टीवी न देखें ।
15. पानी हमेशा बैठकर ही पीयें, खड़े होकर पीने से घुटनों में दर्द (वात रोग) होने लगता है ।
16. भोजन में हरी सब्जी व सलाद का अधिक से अधिक प्रयोग करें । अधिक गर्म और ठण्डी वस्तुएं पाचन क्रिया के लिए हानिकारक है । भोजन में मिर्च मसालों का प्रयोग कम करें । प्रतिदिन मौसमी फलों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है । फलों को भोजन के साथ न लेकर अलग से भोजन से पहले खायें ।
17. रात का खाना सोने के 2 घंटे पहले खाएं, खाने के बाद थोड़ा टहलें, खाने के तुरंत बाद न लेटें ।
18. सांस हमेशा नाक से ही लें व छोड़े । मुख से सांस नहीं लेना चाहिए ।
19. फल-सब्जियों का प्रयोग छिलके सहित धोकर करें । छिलके वाली दालें ही प्रयोग करें ।
20. शरीर की शुद्धि के लिए सप्ताह में एक दिन बिना कुछ खाये केवल पानी पीकर उपवास अवश्य रखें ।
21. मल, मूत्र, छींक आदि के वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए, वेग रोकने से रोग उत्पन्न होते हैं ।
22. सोने के लिए सख्त बिस्तर का प्रयोग करें, गद्दे का प्रयोग हानिकारक है । बिना तकिया लिए सोने से हृदय और मस्तिष्क मजबूत होता है ।
23. नाखून हमेशा छोटे और साफ रखें तथा नाखूनों को दांत से न काटें ।
24. जीवन में वाणी, व्यवहार व विचार के दोषों को दूर करने के लिए तथा जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन सायंकाल या सोते समय थोड़ी देर आंखें बंद करके आत्म-निरीक्षण करें और जीवन में अष्टांग योग अपनाने के लिए पुरूषार्थ करें ।
25. रात 10 से प्रातः 4 बजे तक सोने से 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है । दिन में कभी न सोयें ।
26. जिन लोगों को हृदय संबंधी रोग हो वे सदैव ठंड से बचें ।
27. पेय जल एवं अन्य खाद्य पदार्थ भी स्वच्छ होने चाहिए क्योंकि अस्वच्छता से अनेक रोग होते हैं ।
28. नशीले पदार्थों के सेवन से तन, मन, धन, धर्म व आत्मा की हानि तथा परिवार की बदनामी होती हैं।
29. हर परिस्थिति में सदैव प्रसन्न एवं उत्साहित रहें । उत्साह का परिणाम है सफलता और निराशा का परिणाम आत्महत्या होता है । प्रसन्नता स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी है । हर रोज खुलकर खिलखिलाकर हंसे । हंसना ही जीवन है ।
30. आलस्य, भूख और नींद को जितना पास बुलाएंगे उतना ज्यादा नजदीक आएंगे । इनसे दूरी बनाए रखें।
31. सभी रोगों का एक ही इलाज- नित्य योग ।
32. राष्ट्रप्रेम ही सर्वोपरि है एवं संस्था सदैव व्यक्तिमात्र से अधिक महत्वपूर्ण है ।

(श्री जोगिंदर सिंह, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति, इंदौर के अध्यक्ष भी हैं ।)

****

तृप्तिपूर्ण जीवन यापन

श्री जयदेव कश्यप, सेवानिवृत्त सदस्य ।

मेरी समझ में तृप्ति के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं- संतुष्टि, खुशी, आनंद, शांति एवं आशावादिता । तृप्तिपूर्ण जीवन जीना हम पर निर्भर करता है- हमारे भाव पर, हमारे दृष्टिकोण पर । यदि गिलास में आधा पानी भरा है तो आशावादी व्यक्ति कहेगा कि गिलास आधा भरा हुआ है, निराशावादी कहेगा कि गिलास आधा खाली है । दोनो बातें सही हैं पर भाव व दृष्टिकोण अलग-अलग हैं । आशावादी व्यक्ति के लिए कुछ न होने पर भी सबकुछ है और निराशावादी व्यक्ति के लिए सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है । एक व्यापारी ने एक बार अच्छा व्यापार किया । उसे आशा थी कि सात-आठ लाख का मुनाफा होगा लेकिन भाव गिरने की वजह से बड़ी मुश्किल से दो लाख रुपये की आय हुई । अब वह दिन-रात दुखी रहने लगा कि मेरा पांच लाख का नुकसान हो गया । पत्नी ने देखा कि पति कुछ दिनों से बेचैन व व्याकुल हैं । उसने इसका कारण पूछा । व्यापारी ने उसे सब सच बता दिया । पत्नी समझदार एवं सत्संगी थी । उसने कहा- दो लाख का मुनाफा तो बड़ी बात है । यदि दो लाख मुनाफे की जगह लागत मूल्य में भी चार-छः लाख का नुकसान हो जाता तो आप क्या करते ? कम ही सही लाभ तो हुआ । पत्नी की बातें सुनकर व्यापारी की आंखे खुल गई । वह वस्तु स्थिति को समझ गया । उसी पल से जैसे उसका दुख दूर हो गया । Positive mental attitude अर्थात आशावादिता ही मनुष्य की प्रसन्नता, सफलता और सार्थकता की निशानी है । इसके विपरीत negative mental attitude अर्थात जीवन के प्रति निराशावादी रूख व्यक्ति की अप्रसन्नता, विफलता, दीनता-हीनता और परतंत्रता का रास्ता खोलता है । जीवन के प्रति आशा-उत्साह से भरा रूख अपने-आप में एक बड़ी ताकत है । जब तक आशा जीवित रहती है, व्यक्ति को कोई भी पराजित नही कर सकता । वास्तव में तृप्त व प्रसन्न रहने के लिए दुनिया या वस्तुओं की कोई भी भूमिका नहीं है । यह सब आपसे संबंधित है, आपकी अपनी अंतर स्थिति, आपकी अंतर भावनाओं से । असल में आत्मज्ञान ही आनंद व तृप्ति की सर्वोपरि अवस्था या परम शांति की वास्तविक अनुभूति है ।

अनुकूल परिस्थितियों में हम खुश रहते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में हम दुखी हो जाते हैं । यह सामान्य व्यक्ति की स्थिति होती है, परन्तु विपरीत परिस्थितियों में भी जो प्रसन्न रहता है उसे साधक, तपस्वी व संस्कारी व्यक्ति कहा जाता है । वह व्यक्ति हंसता मुस्कुराता है और अपने कष्ट वेवजह दूसरों को नहीं बताता फिरता है, तो इस तरह वह अपने जीवन में ही सुख की वृद्धि नहीं करता बल्कि अपने संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों के जीवन में भी सुख लाता है । जो व्यक्ति इसके विपरीत करता है, वह खुद तो दुखी रहता ही है, दूसरो को भी दुखी करता है । ऐसा व्यक्ति अपनी मुसीबतों को गिनने का शौकीन होता है, लेकिन वह अपनी खुशियां नही गिनता । यदि वह अपनी खुशियां व आशीर्वाद गिने तो देखेगा कि उसके पास पर्याप्त खुशियां हैं । सामान्य व्यक्ति सोचता है

कि ज्यादा धन कमाने से वह ज्यादा सुख-सुविधाएं जुटा पाएगा और ज्यादा तृप्त और प्रसन्न रहेगा । परन्तु ऐसा होता नहीं है । पर्याप्त धन कमा लेने पर भी तृप्ति व प्रसन्नता उससे कोसों दूर रहती है । लाखों रुपये कमाने पर करोड़पति बनने की इच्छा जाग जाती है । करोड़पति बनने पर अरबपति बनने की इच्छा जाग जाती है । इस तरह संसार की Rat Race में लगकर व्यक्ति स्वास्थ्य की कीमत पर धन कमाने में जुटा रहता है । वह धन तो कमा लेता है पर अस्वस्थ्य रहने लगता है । फिर खतरनाक रोगों का शिकार होकर डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर में पड़कर उसी धन से स्वास्थ्य को वापस लाने की चेष्टा करता है । परन्तु पूर्ण सफल नहीं हो पाता है । इस तरह खुशियों की खोज नाखुश रहने का मूल कारण बन जाता है ।

एक बार इस संसार में चर्चा छिड़ी कि इस संसार में सचमुच में संतुष्ट कौन है ? सबसे तृप्त और सुखी कौन है ? शांति किसके पास है ? लोगो ने कहा- राजा ही होगा, उसके पास नौकर-चाकर हैं, सत्ता है, धन-दौलत है । तो उन्होने राजा के पास जाकर पूछा कि क्या आप संतुष्ट हैं ? राजा ने कहा- अरे नहीं, मैं संतुष्ट कहां हूँ । हमेशा चिन्ता लगी रहती है कि पड़ोसी राजा कहीं हमला न कर दे । डर लगा रहता है कि कोई दरबार में षड़यंत्र न करे । लोगों ने पूछा कि तब आप क्या सोचते हैं कि कौन संतुष्ट होगा ? राजा ने कहा बादशाह हो सकता है । वे लोग बादशाह के पास पहुंचे और पूछा कि क्या आप संतुष्ट हैं ? बादशाह ने भी वही बात कही, मुझे तो हर घड़ी राज्य की ही चिन्ता लगी रहती है । सिर पर ताज धरने वाले को शांति कहां ? लोगों ने सोचा कि राज-पाट वालों को संतोष नहीं है, हो सकता है वह संतुष्ट हो जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है । उन्होने एक भिखारी को पकड़ा और वही प्रश्न पूछा । भिखारी बोला- कैसा मजाक करते हो भाई, मुझे तो हमेशा यह चिन्ता लगी रहती है कि अगले समय का खाना कहां से आयेगा । आखिर में लोग भगवान के पास पहुंचे । भगवान ने कहा, जो मेरा भजन करता है, एक वही इस संसार में संतुष्ट है, बाकी कोई नहीं । तो प्रश्न उठता है कि किस भगवान का भजन करें या पूजा करें ? यहां तो कितने सारे भगवान हैं, देवी-देवता हैं। " एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में बैठा।" जब किसी भगवान को पकड़ना ही है तो मैं कहता हूं कि सबसे नजदीक वाले को पकड़ो, दूर भागने की क्या आवश्यकता है । अगर जानना है तो जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है उन्ही को जानो, दूर भागने की क्या आवश्यकता है । आपके पास जो नौकरी, व्यवसाय, धन, संपत्ति, मकान, दुकान, मोटरकार, आभूषण, सुन्दर वस्त्र तथा अन्य चीजें हैं, उससे आप कैसे तृप्त हो । आपके पास जो है तथा आपके मार्ग में जो कुछ आता है उनको केवल स्वीकार कर लेना आपको तृप्ति की ओर अग्रसर करता है । स्वयं परिस्थितियों को स्वीकार कर लेने की इच्छा मात्र, तृप्त होने का अच्छा स्त्रोत है । परन्तु कभी-कभी इससे एक प्रश्न उठता है कि क्या इसका अर्थ है कि यदि कोई तृप्त रहना चाहता है तो उसे किसी लक्ष्य के लिए या उन्नति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए ? इसका उत्तर है कि उसे हमेशा अपने लक्ष्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए लेकिन सफर में जो चुनौतियां

आती हैं, उन्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए । मैं जब आर्मी में कैप्टन था, मैंने Civil Services Examination की लिखित परीक्षा पास की और साक्षात्कार में UPSC के समक्ष उपस्थित हुआ तो मुझसे एक यह प्रश्न पूछा गया कि मिस्टर जयदेव, आपने कई नौकरियां की हैं, आप बताइये कि आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि किस Job में मिली थी । यह प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि मैंने आर्मी Join करने से पहले थोड़े-थोड़े समय के लिए स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया इंस्पैक्टर, डी.ए.वी. कॉलेज में Demonstrator, पॉलिटेकनिक में जूनियर लेक्चरर इन सायंस और ऑल इंडिया रेडियों में Engg. Assistant के पद पर कार्य किया था । मैंने UPSC के Interview में उक्त प्रश्न का उत्तर दिया कि श्रीमानजी, सच कहूं तो मैं तो प्रत्येक Job में संतुष्ट और खुश था । मेरे इस उत्तर से UPSC Member संतुष्ट हो गये और मैं आई.आर.एस. एवं आई.पी.एस. के लिए चुना गया । अपना निजी उदाहरण देकर मैं इस बात पर फिर जोर देना चाहता हूं कि संतुष्टि का अर्थ यह नहीं कि हम अपने लक्ष्य के लिए या प्रगति के लिए प्रयास करना छोड़ दें ।

हमें अपना कर्तव्य निभाते हुए जो प्राप्ति होती है, वह इस संसार की किसी भी चीज से उच्चतर होती है । यह कुछ ऐसा है जो सूक्ष्म है, तथापि इसका अनुभव किया जा सकता है- यह अंतर-तृप्ति है, मन की समस्थिति है । चाहे हम कठिन समय से गुजर रहे हों या अच्छे समय से, चाहे हमारे बहुत से मित्र हों या बहुत से शत्रु, मन की इस समस्थिति द्वारा हम एक समान ही अनुभव कर सकते हैं । हम इस संसार में उसी प्रकार रह सकते हैं जैसे कीचड़ से भरे तालाब में कमल रहता है, जैसे कंटीली झाड़ियों पर गुलाब रहता है । हम इस संसार में शांति और संतोष से रह सकते हैं । जिस प्रकार सूर्य की किरणें बादलों को भेद सकती हैं, उसी प्रकार इस महान प्राप्ति से हम इस संसार में मन द्वारा निरंतर प्रताड़ित हुए बिना रह सकते हैं । इस अंतर तृप्ति को सच्ची प्राप्ति कहा जाता है ।

इन शब्दों पर चिंतन-मनन करने के बाद मैंने पाया कि मैं एक तुच्छ आत्मा हूं जिसका तृप्ति, प्रसन्नता और शांति मूल स्वभाव है । केवल यह विश्वास रखना कि मेरा अस्तित्व इस स्थूल शरीर से कहीं अधिक है, सच्ची तृप्ति के द्वार खोल देता है । अगर कोई विपत्ति आती है तो हम धैर्य का त्याग न करके इसे विधि का विधान मानकर ग्रहण करें और Positive Attitude रखें कि काली रात के बाद सुबह अवश्य होगी यानि कि दुख के बाद सुख अवश्य आयेगा । इस संसार में दुख और सुख तो पहिए की तरह घूमते रहते हैं । ऐसा दृष्टिकोण रखने से हम मन की समस्थिति बनाए रखेंगे ।

****

*** मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वे उसे बेहतर तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं ।

सुनहरी यादेः भाग-2

श्री कौशल कुमार, कोलकाता ।

रैक्स के सन्यास लेने के बाद मुस्कान काफी उदास रहने लगी, हालांकि मुस्कान की पारिवारिक स्थिति अब काफी ठीक हो गई थी । परिवार के सभी सदस्य मुस्कान को पहले की ही तरह प्यार करने लगे थे एवं मुस्कान पहले जैसे सम्मान की हकदार हो गई थी । परन्तु कार्यालय में मुस्कान की दशा बहुत अच्छी नहीं थी । मुस्कान सदैव खोई-खोई रहने लगी, उदास क्यों न रहे आनंद भी चले गये थे और रह-सहे बचे थे मिस्टर रैक्स, उन्होने भी वी.आर.एस. लेकर सन्यास ले लिया था । जब यह सारी बातें आनंद को पता चली तो उन्होने कोलकाता स्थानांतरण के लिए एड़ी-चोटी एक कर दिया । आनंद की मेहनत रंग लाई । मात्र एक साल के अंदर ही आनंद पुनः हरियाणा से कोलकाता वापस उसी कार्यालय में चले आये । आनंद हालांकि मुस्कान के प्रति सहानुभूति रखते थे परन्तु मुस्कान का मुरझाया चेहरा देखकर आनंद के दिल में बहुत चोट पहुंचती थी और वो मुस्कान को दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे । आनंद अपने सरकारी आवास में अकेले ही थे, एक दिन आनंद को अत्यधिक बुखार चढ़ा और आनंद का शरीर तपने लगा । आनंद को आगे-पीछे कुछ दिखाई नही दे रहा था । इस तरह दो दिन बीत गये । छोटी-मोटी दवाईयों से कोई लाभ नहीं हो रहा था । थक हार कर आनंद ने मुस्कान को फोन किया क्योंकि आनंद को उस समय मुस्कान ही सबसे करीबी दिखाई दे रही थी । रात के आठ बज रहे थे । मुस्कान अपने पति के साथ तुरंत आनंद के घर पहुंच गई । मुस्कान आनंद के एहसानों से अपने को दबी महसूस कर रही थी । वह आनंद की सहायता कर अपने मन के बोझ को हल्का करना चाहती थी । मुस्कान के पहुंचने के थोड़ी ही देर में मुस्कान के पिताजी भी पहुंच गये । मुस्कान ने फोन पर उन्हें बता दिया था कि आनंद सर सख्त बीमार हैं और वह उन्हें देखने जा रही है । मुस्कान के पिताजी ने आनंद के सर पर हाथ रखकर कहा कि बहुत तेज बुखार है । साथ ही मुस्कान ने भी आनंद के सिर पर हाथ रखा । मुस्कान का स्पर्श आनंद को ऐसा लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो । मुस्कान के पति तब तक किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जा चुके थे । थोड़ी ही देर में वे डॉक्टर लेकर आ गये । डॉक्टर ने दवाईयां लिखकर तुरंत लाने को कहा । आनंद ने अपनी शर्ट की जेब की तरफ इशारा किया परन्तु मुस्कान के पति ने आनंद को समझाते हुए कहा सर कुछ तो सेवा का अवसर दीजिए और यह कह कर दवाई लेने चले गये, उनके साथ मुस्कान के पिताजी भी चले गये । अब मुस्कान आनंद के साथ अकेली थी । मुस्कान तुरंत फ्रिज में से ठंडा पानी लाकर उसमें अपना रूमाल भिगाकर आनंद के माथे पर रखने लगी । आनंद के आंखों में आंसू आ गये, उन्होने मुस्कान का हाथ पकड़ लिया और बोले कि तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो । ऐसा लग रहा है कि तुमसे मेरा पूर्व जन्म का रिश्ता हो । इस पर मुस्कान ने कहा- आपकी सेवा से मेरा जीवन सफल हो जायेगा । मैं यह बयान नहीं कर सकती कि आपके प्रति मेरे दिल में कितना स्थान है । वार्तालाप चल ही रहा था कि दरवाजे पर

दस्तक सुनाई दी । पता चला कि मुस्कान के पति एवं उसके पिताजी दवाईयां लेकर पहुंच गये हैं । एक खुराक दवा देने के बाद मुस्कान के पिताजी ने आनंद को अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर लेकर चले गये और कहने लगे मैं इस तरह आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, घर पर आपकी अच्छी देखभाल हो पायेगी । मुस्कान की मां आनंद की अच्छी तरह देखभाल करने लगी । मुस्कान भी प्रत्येक दिन कार्यालय से आने के बाद आनंद को देखने आती थी । असल में आनंद को टाइफाइड हो गया था और डॉक्टर ने बताया कि इसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा । मुस्कान जब भी आती आनंद के लिए कुछ फल वगैरह ले आती थी । आनंद काफी कमजोर हो गये थे । मुस्कान की मां अपने हाथों से जूस वगैरह देती थी । सोमवार का दिन था । आनंद को बुखार काफी तेज था । सायंकाल मुस्कान आनंद को देखने अपने मां के घर गई हुई थी । मुस्कान की मां आनंद को चम्मच से जूस पिला रही थी तभी कॉल बेल बज उठा । मुस्कान की मां ने चम्मच मुस्कान को पकड़ा दिया और बाहर दरवाजा खोलने चली गई । मुस्कान चम्मच से जूस लेकर आनंद के मुंह में डाल रही थी कि अचानक उसने देखा आनंद उसे एक अजीब सी नजर से देख रहे थे । मुस्कान को समझते देर न लगी, वह तुरंत चम्मच कटोरी में डालकर मां को पुकारने लगी तब तक मां आ गई और मुस्कान को डांटते हुए बोली कि क्या तुम जूस नहीं पिला सकती हो । मुस्कान ने चम्मच से धीरे-धीरे आनंद को जूस पिलाना शुरु किया । कटोरी खाली हो गई । आनंद उसे टकटकी लगा कर निहार रहे थे । मुस्कान चम्मच को बार-बार खाली कटोरी में डालती और फिर आनंद के मुंह में । न तो मुस्कान को पता था कि जूस खत्म हो गया है और न ही आनंद यह समझ पा रहे थे कि मेरे मुंह में खाली चम्मच ही आ रहा है । सहसा मुस्कान की बेटी दौड़ी हुई आई और मां द्वारा खाली चम्मच बार-बार आनंद के मुंह में डालते देखकर ठहाका मारकर हंसने लगी । मुस्कान सकपका गई । उसकी आवाज थम गई । वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी । होश संभालने पर उसे अपनी गलती का अहसास हुआ और वह बेटी को डांटने लगी- "पगली कहीं की, अभी तो जूस खत्म हुआ है ।" यह कहकर मुस्कान किचन में चली गई और आनंद के लिए मूंग की खिचड़ी बनाने लगी । दवाईयों का असर और सेवा-सुश्रुषा से आनंद ठीक हो गये । तब तक आनंद की श्रीमती जी भी सपरिवार हरियाणा से वापस आ गई । अब आनंद धीरे-धीरे कार्यालय का कार्य देखने लगे । उनके दिल के अंदर मुस्कान के लिए एक हलचल सी हो रही थी । परन्तु उम्र एवं पद के बीच की यह अनजानी दूरी बाधा पहुंचा रही थी । आनंद कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें । उधर मुस्कान भी काफी रिजर्व रहने लगी । दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है । अब वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती थी कि कोई उसके बारे में गलत सोचे । इधर आनंद की सहानुभूति धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगी और आनंद अब मात्र एक अधिकारी न रहकर अपने को मुस्कान का संरक्षक समझने लगे और अब वह धीरे-धीरे मुस्कान पर अपना अधिकार जताने लगे । इसे अब स्पष्ट कर देना ही अच्छा रहेगा कि आनंद मन ही मन मुस्कान से प्यार करने लगे थे । मुस्कान भी धीरे-धीरे समझने लगी कि आनंद सर उसके प्यार में दीवाने हो गये हैं । मुस्कान के दिल के कोने में आनंद के लिए काफी जगह थी, पर वह

लोक-लाज वश अपनी इज्जत के खातिर कभी इसे प्रकट नहीं करती थी । उधर समय पंख लगाकर उड़ रहा था । मुस्कान की बेटी भी अब धीरे-धीरे बड़ी होने लगी । वह अब कक्षा चार में पढ़ रही थी । मुस्कान ने बड़े प्यार से उसका नाम निकिता रखा था । इसी बीच मुस्कान पुनः गर्भवती हो गई । उसके रुप में और अधिक निखार आ गया । अब वह पहले से ज्यादा गंभीर रहने लगी । उसे थोड़ी बहुत असुविधा भी होने लगी । कार्यालय में वह समय से नहीं आ पाती थी । वह बार-बार छुट्टी भी लेने लगी । इसके लिए उसे आनंद के पास बार-बार आना पड़ता था और यही चीज मुस्कान के लिए समस्या थी, परन्तु वह क्या करती, आना तो आवश्यक था क्योंकि आनंद जो उसके अधिकारी थे । हालांकि मुस्कान के लाख न चाहने के बाबजूद आनंद के मन में एकतरफा प्यार की ज्वाला भड़क रही थी और वह मुस्कान को बिना देखे एक पल भी नहीं रह पाते थे । वे आसपास ही ऑफिस में इधर-उधर मंडराते रहते थे कि मुस्कान कहीं से गुजर जाए और वे उसकी एक झलक पाकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा सकें । समयानुसार मुस्कान ने एक लड़के को जन्म दिया । घर के सभी लोग काफी खुश थे । स्वस्थ होने के बाद मुस्कान भी कार्यालय आने लगी । उसी दौरान एक दिन मुस्कान ने आनंद को अपने घर आमंत्रित किया । खाना खाकर सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि मुस्कान ने आनंद को अकेला पाकर उसके हाथ को बड़े प्यार से पकड़कर अपनी गोद में रखते हुए बोली- सर, यह मेरा छोटा सा परिवार है और ये सारी खुशियां आपकी दी हुई है । आप चाहे तो इसे बरकरार रखें या इसे बरबाद कर दें । सर, समझदारी इसी में है कि आप मुझे अपने दिल से निकाल दें और मेरी हरी-भरी बगिया को सूखने से बचा लें । आनंद ने भी उसी समय कसम लिया और मुस्कान से कहा - अब तुम मेरी तरफ से स्वतंत्र हो । भगवान तुम्हारी जिन्दगी सुखी रखे यही मेरी कामना है । इस प्रकार दोनो सुखी जीवन जीने लगे ।

****

स्याद्वाद

भगवान महावीर की संपूर्ण शिक्षाओं को मोटे तौर पर चार मूल बिंदुओं के रुप में रखा जा सकता हैः- 1. आचार में अहिंसा 2. विचार में अनेकांत 3. वाणी में स्याद्वाद 4. जीवन में अपरिग्रह । भगवान महावीर के यह चार सूत्र कहलाते हैं जो आज भी उपयोगी हैं । किसी वस्तु के अनंत धर्मों(गुणों) में से सबका एक साथ वर्णन नहीं किया जा सकता है । अतः ध्यान रखना आवश्यक है कि जब भी कुछ बोला जाता है वह उसका मात्र एक पक्ष होता है और उसके साथ सदैव उसका अपर पक्ष गौण बना रहता है । इस प्रकार संघर्ष की स्थिति को आसानी से टाला जा सकता है । भगवान महावीर का यह स्याद्वाद सिद्धात स्याद् पद लगाकर बोलने की अदभुत कला सिखाता है - ***पहले तोलो, फिर बोलो ।***

अंतरीय पर्यावरण

श्री सी.एल. सिंह, लखनऊ ।

पर्यावरण शब्द सुनते ही अनायास सभी के दिमाग में तुरंत एक चित्र खींच जाता है जिसमें हमारे आसपास की हवा, पानी, पेड़-पौधे, जमीन, सभी शामिल होते हैं । ये सभी शुद्ध भी हो सकते हैं और अशुद्ध भी, जिसे हम मानवों ने ही किया है । हजारों वर्ष पहले हमारी इस धरती पर स्वच्छ हवा उपलब्ध थी, नदी, कुओं, तालाबों आदि का पानी इतना निर्मल था कि उसे सीधे तौर पर प्रयोग किया जाता था । पेड़-पौधों में भी उनका प्राकृतिक गुण मौजूद था, धरती की मिट्टी भी शुद्ध थी क्योंकि उसमें केवल प्राकृतिक तत्व ही मौजूद थे । समय बीतता गया, धरती पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता गया और मानव की जरूरतें भी बढ़ती गई । अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरु कर दिया । आज के युग में मनुष्य ने विज्ञान और प्रौधोगिकी के क्षेत्र में जितनी उन्नति और प्रगति की है वह पूरे इतिहास काल में नहीं हुई है । प्रकृति के रहस्यों के बारे में ज्यों-ज्यों इंसान के ज्ञान में वृद्धि हो रही है उसकी समझ में यह आ रहा है कि प्रकृति अनियोजित नहीं है वरन प्रकृति में एक संपूर्ण संतुलन विद्यमान है । मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर ही आश्रित है । अगर मानव प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग तक सीमित रहता तो बात नहीं बिगड़ती लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग ने समस्या को गंभीर कर दिया है । हमने इस भूमंडल की हवा, पानी और धरती को प्रदूषण से भर दिया है । अब तो हालात इतने खराब हो गये हैं कि धरती को सूर्य की विनाशकारी किरणों से बचाने वाली ओजोन के टूटने का खतरा पैदा हो गया है । विज्ञान की प्रगति से चारों तरफ मशीनों के अलावा कुछ नजर नहीं आता । हमारे घर के अंदर से लेकर बाहर तक चारों ओर जहां तक नजर दौड़ायें, कारखानों में बना सामान नजर आ जायेगा । इस सब को बनाने के लिए हम कर क्या रहे हैं ? पेड़-पौधों को काट रहे हैं, जमीन की खुदाई कर रहे हैं, जीव-जन्तुओं की हत्या कर रहे हैं, आदि-आदि । इससे हो क्या रहा है ? प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है । यह समस्या किसी एक समाज या देश की नहीं है वरन यह संपूर्ण भूमंडल के लिए गहरी चिंता का विषय बन गया है ।

आज जब पर्यावरण की समस्या इतनी गंभीर हो गई है तो कुछ जागरुक लोगों ने इसे ठीक करने या संतुलित करने का बीड़ा उठाया है । ये लोग पर्यावरण में सुधार चाहते हैं तथा इस कार्य में संलग्न संवेदनशील पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे प्राकृतिक माहौल या पर्यावरण में किसी प्रकार का कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होने देना चाहते जिससे प्रकृति के स्वाभाविक संतुलन को झटका लगे अथवा उसे नुकसान पहुंचे । पर्यावरण विशेषज्ञ वातावरण की पवित्रता को अक्षुण्ण रखना तथा उसे अपवित्र न होने देना अपना धर्म और दायित्व मानते हैं । वे हर संभव प्रयत्न करते हैं कि वे प्रकृति के साथ शांति और तालमेल से रहें । पर्यावरण की समस्या किसी देश विशेष या धर्म विशेष की नहीं है । इसलिए इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह वातावरण को शुद्ध

रखने में पूरा सहयोग दे तथा प्राकृतिक वातावरण को संतुलित रखे । यदि हमने ऐसा नहीं किया तो प्रकृति में इतनी ताकत है कि वह अपने आप को जब खुद संतुलित करेगी तो हो सकता है कि हमारा अस्तित्व ही मिट जाए ।

उपर्युक्त लेख द्वारा बाहरी पर्यावरण की समस्या एवं निदान पर सरसरी तौर पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है । पर्यावरण, साधारणतया जो लोग समझते हैं, वह वही है जिसके संबंध में ऊपर चर्चा की गई है, लेकिन यह बाहर का पर्यावरण है । अब यहां एक नई बात दिमाग में आती है कि पर्यावरण तो बाहर का ही होता है । अब क्या कोई अन्दर का पर्यावरण भी होता है ? हां, इस लेख का जो शीर्षक है **'अंतरीय पर्यावरण'** वह इसी ओर इशारा करता है कि अंदर का भी पर्यावरण होता है । बाहर के पर्यावरण और अंदर के पर्यावरण में पूरी समानता है । आज इस दुनिया में करीब सात अरब लोग रहते हैं और वे किसी न किसी धर्म को मानने वाले हैं । धर्म को मानने का मतलब है कि वे उस धर्म के संस्थापकों के विचारों से सहमत होते हैं तथा उनके द्वारा बताये गये मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं । ये धर्म आज नहीं बने हैं, इनको बने हुए कई हजार साल बीत गये हैं । हर धर्म जिसे हम आज अपनाये हुए हैं उसकी स्थापना किसी न किसी महापुरूष/ ईश्वरपुत्र/ देवपुत्र/ ईश्वर के दूत ने की है । आज वे शरीर रुप में हमारे सामने विद्यमान नहीं हैं लेकिन उनका जीवन परिचय, चरित्र एवं शिक्षाएं धार्मिक पुस्तकों में हमें देखने को मिल जाती है । किसी भी धर्मसंस्थापक के जीवन चरित्र को हम देखें तो पाते हैं कि उनका जीवन कितना पवित्र था, उनके आदर्श कितने ऊंचे थे, वे सभी से कितना प्यार करते थे । समय बीतता गया और वे महापुरूष, ऋषि, मुनि, वली, नबी, फकीर, ईश्वर पुत्र शरीर छोड़कर चले गये । समय बीतता गया और उनकी शिक्षाएं पुस्तकों के रुप में लोगों के सामने रख दी गई और लोगों ने उन्ही शिक्षाओं को अपनाकर जीवन जीना शुरू कर दिया । आगे चलकर धर्मों में विभाजन शुरू हो गया और एक-एक धर्म के कई समूह बन गये तथा हर एक समूह को मानने वाले लोग जुड़ते गये । सभी ने अपना जीवन उन्ही शिक्षाओं के आधार पर जीना शुरू कर दिया । आत्मा, जो इस शरीर को चला रहा है, परमात्मा का ही अंश है । परमात्मा परम पवित्र है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। इसलिए आत्मा भी परम पवित्र है । आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो उसे मन और इंद्रियों द्वारा काम करना पड़ता है । पर्यावरण चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, दोनो एक ही सृष्टिकर्ता परमपिता परमात्मा के बनाये हुए हैं जो सब का कर्ता-धर्ता, पालनहार और जीवनधारा है और उसके बनाये हुए नियम और विधान के अंतर्गत संसार का सारा कार्य व्यवहार चल रहा है । प्रभु ने यह शरीर, आत्मा को रहने के लिए दिया है, अतः सभी धर्मग्रन्थ हमें आदेश देते हैं कि हम इस शरीर रुपी मकान को साफ-स्वच्छ रखें, इसकी पवित्रता को नष्ट न होने दें । अब अगर हम ध्यान से देखें तो पायेंगे कि हम इस शरीर को बहुत साफ-सुथरा रखने की कोशिश करते हैं । सुबह उठते ही मंजन करते हैं, नहाते समय बालों में शैम्पू तथा शरीर पर खुशबूदार साबुन लगाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं तथा तरह-तरह के इत्र इस्तेमाल करते हैं । शरीर

को स्वस्थ रखने के लिए तरह-तरह के पौष्टिक आहार लेते हैं । शरीर सुन्दर हो गया, स्वस्थ हो गया लेकिन आत्मा का क्या हुआ ? मन को ताकत देने वाली आत्मा उसके साथ इस तरह से मिल गई कि उसे अपने-आप का भान नहीं रहा और अज्ञान की इस अवस्था में वह बाहर के रंगों में इस तरह रंगी कि मन और इंद्रियों का रुप बनकर रह गई । हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने इस तरह से जकड़ा कि हम उसी के गुलाम बनकर रह गये । आज हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ? दुनिया के साज-सामान, धन-दौलत इकट्ठी करना, यश और सत्ता प्राप्त करना, इष्टमित्रों और संबंधियों के साथ मौज उड़ाना आदि और इसके लिए हमें चाहे जो रास्ता अपनाना पड़े, हम उससे परहेज नहीं करते हैं । अब अगर हम ईमानदारी से अपने अंदर झाक कर देखें तो पायेंगे कि हमारा आंतरिक पर्यावरण उतना ही दूषित है जितना बाहरी पर्यावरण । जिस प्रकार बहुत समय पहले हवा, पानी, धरती सभी शुद्ध थे, उसी प्रकार बहुत समय पहले लोगों के विचार तथा जीवन पवित्र थे । आज शायद विरले ही मिलेंगे जिन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने न घेर रखा हो । समस्या बहुत गंभीर है । आज हो क्या रहा है, हम केवल अपना भला करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए दूसरों को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं । हम अपने-आप को इंसान कहते हैं लेकिन क्या हम सच्चे इंसान हैं ? क्या हमारा आंतरिक पर्यावरण साफ है । बाहर का पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो हम घबरा गये और आज उसको सुधारने के लिए हम तरह-तरह की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर जो प्रदूषण भरा है उसको सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं ?

हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे बाहरी एवं आंतरिक दोनो पर्यावरण शुद्ध हो सकता है । अगर इस भूमंडल को अपनी स्वतंत्र, स्वयं स्थित, स्वावलंबी पर्यावरण व्यवस्था सहित बने रहना है तो हमें इस धरा के निवासी इंसानों को समस्त सृष्टि के साथ प्रेम-प्यार, तालमेल एवं सौहार्द के साथ हिल-मिल कर रहने का ढंग सीखना होगा । पर्यावरण (आंतरिक और बाह्य) की समस्या का मूल कारण यह है कि यदि हम अपने गलत कामों से इस दुनिया के वातावरण को, जिसमें हम रहते हैं, दूषित करते हैं, इसमें प्रदूषण भरते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि हमें किसी के भले-बुरे से कोई सरोकार नहीं है । यदि हमें अपने परिवार के, अपने पड़ोसी के हित की चिंता हो तो हम कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे आस-पास का माहौल कलुषित हो एवं गंदगी और प्रदूषण से भर जाए जिससे वहां रहने वाले सभी इंसानों का जीना दूभर हो जाए । पर्यावरण(आंतरिक और बाह्य) की सारी समस्या हल हो जाए, यदि हम इंसान यह समझें और अनुभव करें कि इस धरती पर रहने वाले समस्त प्राणी, संपूर्ण सृष्टि, पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, पेड़-पौधे हमारी तरह ही हैं और अन्योन्याश्रित (एक दूसरे पर निर्भर) हैं । यदि इस पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग अपने साथियों को, अन्य दूसरे लोगों को, हर नर-नारी को अपना भाई और बहन समझने लगें तो हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे दूसरों को हानि हो । हम ऐसा जीवन जीयें, जैसा जीवन जीने के लिए हमारे महापुरूष हमें बता गए हैं । हम ऐसी जीवन शैली अपनाएं जिससे वह माहौल, वह वातावरण जहां हमारे साथ दूसरे

लोग भी रहते हैं, साफ सुथरा रहें । हमारे कारण दूषित न हों, उसमें प्रदूषण न फैले । अगर हमारा अंतरीय पर्यावरण साफ और पवित्र होगा तो निश्चय ही वह बाहरी पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचायेगा । इस चेतना की झलक अगर हमारे जीवनाचरण में झलकने लगे तो न सिर्फ हमारा अपना कल्याण होगा, वरन हमारे समाज, देश और सारे संसार का भला होगा ।

****

आत्मविश्वास

श्री मनीष भोई, मुंबई

जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचना और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना दोनों अहम है । पहले हम आगे बढ़ने के लिए विचार करते हैं और फिर उसी विचार को मजबूत करते हैं, लगातार उसी सोच को रोजाना पक्का करते जाते हैं, जिससे हमारा भरोसा मजबूत होने लगता है । फिर उस भरोसे के साथ जब हम आगे बढ़ने के लिए सही तरीके से कदम बढ़ाते हैं, तो सफलता मिलने लगती है क्योंकि सफलता हमें हमारा विश्वास दिलाता है । आगे वही बढ़ सकता है, जिसे खुद पर भरोसा हो । सिर्फ भरोसा हो और उसके साथ कर्म न करें, तो वह भी बेकार है । केवल कर्म हो और उसमें भरोसा ना हो, तो भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता । अपने भरोसे को इतना मजबूत करते जाइए कि अगर पहाड़ जैसी मुसीबत भी आ जाए, तो भी आप हिम्मत न हारें । भौतिक दुनिया में भी कुछ पाने की इच्छा हो, तब विश्वास चाहिए, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना हो, तब भी विश्वास चाहिए । कई बार हम कोई नया काम शुरू तो करते हैं, लेकिन उसके साथ अपने पर शक भी करने लगते हैं कि पता नहीं सफल होऊंगा या नहीं । यही शक आगे बढ़ने में रुकावट डाल देता है । इसलिए खुद पर बिना शक किए पूरे भरोसे के साथ काम में जुटे रहें । आप देखेंगे कि नई-नई राहें खुद-ब-खुद आपके सामने खुलती चली जाएंगी और एक दिन आपका यही विश्वास आपको नए मुकाम पर ले जाएगा ।

****

*** घड़ी की सूईयों को आप तभी देखें जब आपके पास कोई काम न हो । जब आपके पास काम हो तो घड़ी की ओर न देखें क्योंकि घड़ी सफलता प्राप्त करने में बाधक है ।

*** जिंदगी में दो पहलू होते हैं- पहला पहलू आपके हक में होता है और दूसरा आपके खिलाफ । जब पहलू आपके हक में हो तो गुरूर न करें और जब पहलू आपके खिलाफ हो तो सब्र करें ।

*** Understanding is much deeper than knowledge . There are many people who knows but few who understand.

स्वामी विवेकानंद का विश्व प्रसिद्ध भाषण

संकलन - श्री मनीष भोई, मुंबई ।

इस साल स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाई जा रही है । उनके जन्मदिन, 12 जनवरी से शुरु हुए समारोहों का सिलसिला साल भर तक चलेगा । यहां हम स्वामी विवेकानंद के उस बेहद चर्चित भाषण को दे रहे हैं जो उन्होने 1893 में शिकागो (अमेरिका) में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में दिया था :

अमेरिका के बहनों और भाइयों,

आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा ह्रदय अपार हर्ष से भर गया है । मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं । मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जाति, संप्रदाय के लाखों, करोड़ों हिन्दुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं । मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होनें इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है । मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है । हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रुप में स्वीकार करते हैं ।

मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं, जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है । मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने ह्रदय में उन इस्त्राइलियों की पवित्र स्मृतियां संजोकर रखी हैं, जिनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़-तोड़कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी । मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं, जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल-पोस रहा है ।

भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है और जो रोज करोड़ो लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है : जिस तरह अलग-अलग स्त्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरुप अलग-अलग मार्ग चुनता है । वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े-मेढ़े लगें, पर सभी मार्ग भगवान तक ही जाते हैं ।

वर्तमान सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, गीता में बताए गए

इस सिद्धांत का प्रमाण है : जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं । लोग चाहे कोई भी रास्ता चुनें, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं ।

सांप्रदायिकता, कट्टरता और इससे उपजी हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं । इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है । कितनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई है । कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं ।

अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है । मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिता, हर तरह के क्लेश, चाहे वे तलवार से हों या कलम से और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा ।

****

प्रत्याहार

श्री मनीष भोई, मुंबई ।

हमारी ऊर्जा, इंद्रियों व मन के द्वारा बाहर की ओर बहती रहती है, हम दिन भर इंद्रियों से काम लेते रहते हैं । जब आवश्यकता नहीं, तब भी किसी ना किसी इंद्रिय को प्रयोग में लाते रहते हैं, जबकि, जब देखना हो तब देखो, जब सुनना हो तब सुनो, जब बोलना हो तब बोलो । यहां ध्यान रखना क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना ! ऐसे ही, क्या देखना, कितना देखना, कब देखना, किस नजर से देखना ! फिर, क्या सुनना, कितना सुनना, कब सुनना आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए । लेकिन, अक्सर जरूरत न भी हो, तब भी हम देखते, सुनते व बोलते रहते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा तो बाहर बहती ही है, साथ ही मन भी बिखरने लगता है । हमारी इंद्रियां बिना लगाम के घोड़े की तरह दौड़ती रहती है । ये बिखरी इंद्रियां और मन अनावश्यक कर्मों को बनाते रहते हैं, जिससे हमारा चित्त भी दूषित होने लगता है, क्योंकि इंद्रियों के विषय ही मन को मलिन करते हैं और फिर मन ही हमारे चित्त में संस्कार बनाता है । अतः इनको काबू में करना होगा और इसी प्रकार बाकी कर्मेन्द्रियों व ज्ञानेन्द्रियों से भी मालिक बनकर काम लेना होगा । जैसे, कछुआ जब चलना चाहता है, तब अपने पैर व मुंह बाहर निकालता है, अन्यथा अपने अंगों को समेट लेता है । अतः दिन भर सुजागी रखने कि जब जरूरत नहीं है, आवश्यक न हो तो इंद्रियों व मन के क्रियाकलापों को बंद कर दें । शुरू में मन व इंद्रियां विद्रोह करेंगी, लेकिन अभ्यास को लगातार बनाए रखना । अष्टांग योग में इस साधना को ***"प्रत्याहार"*** कहते हैं ।

****

विश्वास

उल्का परब, मुंबई ।

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती ।
मेहनत, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ।

नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती हैं ।

मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है ।

मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती ।
मेहनत, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ।

डुबकियां सिन्धु में गोताखोर लगाता है ।
जा-जा कर खाली हाथ लौट आता है ।

मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में,
बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में ।

मुट्ठी उसकी खाली हर बार नही होती ।
मेहनत, कोशिश करने वालों की कभी हार नही होती ।

असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो ।
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो ।

जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम ।
संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम ।

कुछ किए बिना ही जय-जयकार नहीं होती ।
मेहनत, कोशिश करने वालों की कभी हार नही होती ।

****

विश्वास का रिश्ता

सुश्री आशा पाल, मुंबई ।

विवेक विश्वास एक ऐसा नाम, जिससे मिले मुझे बरसों बीत गए थे । मैंने लिफाफा खोला । उसमें 20 हजार अमेरिकन डॉलर का एक चेक और एक चिट्ठी थी । इतनी बड़ी राशि वह भी मेरे नाम पर । मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली और एक सांस में ही सारा पत्र पढ़ डाला । पत्र किसी परी कथा की तरह मुझे अचंभित कर गया । उसमें लिखा था-

आदरणीय मां,

मैं एक छोटी सी भेंट आप लोगों के चरणों में श्रद्धा सुमन के रुप में अर्पण कर रहा हूं । मेरी स्नेहिल भेंट स्वीकार कर मुझे अपना फर्ज अदा करने का सुअवसर प्रदान करें । मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के एहसानों का कर्ज मैं कभी उतार पाऊंगा । यह उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए है, घर पर सभी को मेरा प्रणाम,

आपका विवेक ।

मेरी आंखों में वर्षों पुराने दिन सहसा किसी चलचित्र की तरह तैर गए । मुझे याद है कि हम पति-पत्नी घूमने मनाली गए थे । शाम के समय अपने परिवार के लिए तोहफे खरीदने के मूड से घूमने निकले । बाजार घूमते वक्त काफी थके होने की वजह से हमलोग कॉफी शॉप में बैठे कॉफी पी रहे थे । तभी मेरी नजर बाहर पुस्तकों के ढेर के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी । वह पुस्तक की दुकान में घुसते हर संभ्रांत व्यक्ति से अनुनय-विनय करता और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता । हम काफी देर तक मूकदर्शक की तरह यह नजारा देखते रहे । वह हर बार नई आशा के साथ फिर कोशिश करता, फिर वही निराशा । हम काफी देर तक उसे देखने के बाद अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाए । हमने उससे पूछा- बेटा, ये सारी पुस्तकें कितने की हैं ? आप कितना दे सकते हैं, सर ? अरे, तुमने कुछ सोचा होगा । वह लड़का कुछ कड़वाहट के साथ बोला- पांच हजार रुपये । मेरे मुंह से अनायस ही निकल गया- इन पुस्तकों का कोई 500 भी दे दे तो बहुत है । अब उस लड़के का चेहरा देखने लायक था । जैसे ढ़ेर सारी निराशा किसी ने उसके चेहरे पर उड़ेल दी हो । हम उसे दुखी नहीं करना चाहते थे । हमें अब अपने कहे पर पछतावा हो रहा था । हमने उससे सांत्वना भरे शब्दों में पूछा- देख बेटा, तुम किताबें बेचने वाले तो नहीं लगते । क्या बात है ? साफ-साफ बताओ कि क्या जरुरत है तुम्हारी । तब वह जैसे फूट पड़ा । शायद काफी समय से उतार-चढ़ाव अब उसके बरदाश्त से बाहर हो गया था । मैं बारहवीं कर चुका हूं । मेरे पिता एक छोटे से रेस्टारेंट में काम करते हैं । मेरा मेडिकल में चयन हो चुका है । अब उसमें प्रवेश के लिए मुझे पैसों की जरुरत है । कुछ तो मेरे पिताजी देने को तैयार हैं । कुछ का इंतजाम अभी नहीं कर सकते।

लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहा । तुम्हारा नाम क्या है ? उसने बड़ी ही मासूमियत से जबाब दिया- विवेक विश्वास । तुम विश्वास हो और दिल छोटा करते हो । कितना पैसा चाहिए ? पांच हजार- अबकी बार उसके स्वर में दीनता थी । इस बार हमने हंसते हुए पूछा- अगर मैं तुम्हे यह रकम दे दूं तो क्या हमें वापस कर पाओगे ? इन पुस्तकों की इतनी कीमत तो है नहीं । इसपर वह बोला- सर जी, आप लोगों ने ही तो अभी कहा कि मैं विश्वास हूं, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं ? मैं पिछले कई दिनों से यहां पर आ रहा हूं । आप लोग पहले इंसान हैं जिन्होने इतना पूछा । अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं किसी होटल में कप-प्लेट धोता नजर आऊंगा । उसके स्वर में अपने भविष्य के डूबने की आशंका थी । उसके स्वर में न जाने क्या बात थी जो हमारे जेहन में सहयोग की भावना तैरने लगी । मस्तिष्क उसे एक जालसाज से ज्यादा कुछ समझने को तैयार न था जबकि दिल में उसकी बात को स्वीकार करने के स्वर उठने लगे थे । आखिर में दिल जीत गया । हमने आपस में बात की और यही विचार किया कि यही समझेंगे कि घूमने में पांच हजार ज्यादा खर्च हो गये । हमने कहा- देखो बेटा, हम नहीं जानते, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी इच्छाशक्ति में कितना दम है । लेकिन हमारा दिल कहता है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसलिए कर रहे हैं । तुमसे चार-पांच साल छोटी हमारी बेटी भी है । सोचेंगे कि उसके लिए कोई खिलौना खरीद लिया । हमने पैसे विवेक की ओर बढ़ा दिए । विवेक आश्चर्यचकित था । शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था । उसकी आंखों में आंसू तैर आये । उसने हमारे पैर छुए । उसने पूछा- ये पुस्तकें पैक कर दूं । मैंने कहा- "कोई जरूरत नहीं, इन्हे तुम अपने पास रखो । यह हमारा कार्ड है । जब भी कोई जरूरत हो, हमें बताना ।" वह मूर्ति बनकर खड़ा रहा और हम उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ फेरते हुए आगे निकल गए ।

दिन गुजरते गए । विवेक ने मेडिकल में अपने दाखिले की सूचना मुझे एक पत्र के माध्यम से दी । हमें अपने मूर्खता में कुछ मानवता नजर आई । एक अनजान सी शक्ति ने या यूं कहें हमारे अंदर बैठे मानव ने मुझे प्रेरित किया कि मैं हजार-दो हजार रुपये उसके पते पर फिर भेज दूं । भावनाएं जीतीं, हम अपनी मूर्खता दोहराते और उसे भूल जाते । हमने कभी चेष्टा भी नहीं की कि उसके पास जाकर अपने पैसे का उपयोग देखें । न वह भी हमारे घर आया । कुछ साल तक यह क्रम चलता रहा । एक दिन उसका पत्र आया कि वह ऊंची शिक्षा के लिए आस्ट्रेलिया जा रहा है । छात्रवृतियों के बारे में भी उसने हमें बताया था । हमें अपनी मूर्खता पर दूसरी बार फक्र हुआ बिना उस पत्र की सच्चाई जाने । समय पंख लगाकर अपनी पूरी गति से उड़ता रहा । फिर एक दिन विवेक की शादी का कार्ड आया । शायद उसने वहीं की कोई लड़की पसंद कर ली थी । वह आस्ट्रेलिया में बसने के विचार में था । हमारी खुशी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी । एक बड़े परिवार में हमने उसका रिश्ता तय कर दिया था । अब हमें खुशी की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करनी थी । मैं एक व्यापारी था और एक व्यापारी भले ही पैसे वाला हो, उसका सारा

पैसा बाजार में फैला रहता है । वह सारी जिन्दगी यह सोच कर बिता देता है कि बेटी के विवाह में हमें क्या कमी होगी । जब चाहेंगे तब बिजनेस से पैसा निकाल लेंगे । पर ऐसा होता नहीं । जब हमें रुपयों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हमें जितना पैसा चाहिए होता है उतना पैसा हम अचानक नहीं निकाल पाते हैं । ऐसे समय में यह चेक ! हम वापस अपनी दुनिया में लौट आये । हमने विवेक को एक बार फिर याद किया और खुशी की शादी का कार्ड विवेक को भेज दिया । शादी की गहमा-गहमी चल रही थी । मैं और मेरा परिवार व्यवस्थाओं में व्यस्त था और खुशी अपनी सहेलियों में । एक बडी सी गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने आकर रुकी । ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो गाड़ी में बैठे शख्स के साथ उसकी पत्नी जिसकी गोद में एक बच्चा था, बाहर निकले । हम अपने दरवाजे पर जा खड़े हुए तो लगा कि इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा है । उसने आकर हमारे पैर छुए और कहा- मां, मैं विवेक ? हम दोनो अचंभित भाव से खड़े थे । हमने बड़े गर्व से उन्हे अपने सीने से लगा लिया । खुशी अब भी विचारों में थी । विवेक अपने साथ ढ़ेर सारे उपहार लेकर आया था । खुशी को उसने बड़ी आत्मीयता से गले लगाया । खुशी भाई पाकर बड़ी खुश हुई । शादी का दिन आया । विवेक शादी में एक बड़े भाई की रस्म हर तरह से निभाने में लगा रहा । उसने न तो कोई बड़ी जिम्मेदारी हम पर डाली और न ही एक पैसा हमें खर्च करने दिया । उसके भारत प्रवास के दिन मानो पंख लगाकर उड़ गये ।

इस बार विवेक जब वापस आस्ट्रेलिया लौट रहा था तो एयरपोर्ट पर उसको विदा करते हुए न केवल हमारी बल्कि सारे परिवार व खुशी की भी आंखे नम हो गई । आकाश ऊंचा और ऊंचा आसमान को छू रहा था और उसी के साथ हमारा विवेक भी आसमान छू रहा था । हम अपनी मूर्खता पर एक बार फिर गर्वित थे और सोच रहे थे कि नश्वर संसार को चलाने वाला भगवान नहीं बल्कि मानव होता है । मानवता का धर्म निभाते हुए किसी जरूरतमंद की मदद करना ही आज के युग में सच्ची ईश्वर सेवा है ।

****

*** ट्रैफिक सिग्नल हमें यह सिखाता है कि समस्याएं लाल बत्ती की तरह होती हैं । अगर हम थोड़ी प्रतीक्षा करें तो यह हरी बत्ती में परिवर्तित हो जाती है ।

*** आपके पास जो संपदा है उस मौजूदा संपदा से परोपकार कीजिए । शरीर मजबूत है तो शरीर से कीजिए । बुद्धि है तो बुद्धि से कीजिए । कुछ भी नहीं है तो सदभावना से कीजिए ।

*** अपना मान तभी बना रह सकता है जब हम दूसरों के सम्मान की चिंता करें ।

रिश्तों का उत्पीड़न

श्री अशोक सिंह, जबलपुर ।

पैदा होने पर बेटे के होते हैं खुश लोग क्यों इतने,
मानकर दुर्भाग्य जन्मने पर बेटी के होते हैं मायूस क्यों इतने ?
आखिर तो संतान ही हैं, पुत्र हो या पुत्री,
दोनों हैं शाखाएं अभिन्न, देखों महज एक तरूवर की ।
तो फिर क्यों ? और भेद ये कैसा जन्म पर बेटा या बेटी के,
हैं दोनो का समानधिकार, ममता की कड़ी कसौटी पे ।
नियमों व अनुशासन की बेड़ियों में जकड़ी,
कोई और नहीं लाचार तुम्हारी बेटी है ।
करती है गृह कार्य सारे, समझदार सुघड़ गृहणी सी,
निभाकर कर्तव्य सारे, जागृत है तटस्थ प्रहरी सी ।
हो चाहे मैदान खेल का, चाहे चुनौती शिक्षा की,
अव्वल हैं चहुँ ओर आज वह, मोहताज नहीं वह भिक्षा की ।
मानकर बोझ जिस बेटी को, करते हो विदा द्वार से जब भी,
वह होती है तुम्हारे सुखों में खुश, और भिगोती है आँखें,
तुम्हारे दुख में होकर दुखी अपने ससुराल में भी ।
करके विवाह बेटी का पाते हो तुम एक और बेटा,
होकर शरीक जो सुख-दुख में, करता है तुम्हारी सेवा ।
पग-पग पर ढाकर जुल्म, जो संताप तुम्हे देता है,
दायित्व- विहीन हो निज मस्ती में फिरता तुम्हारा बेटा है ।
जन्म पर जिसके तुमने न देखा दिन का सुख, न रातों का आराम,
क्या कुछ नहीं सजाये सपने, बेटे के बनने पर दूल्हा,
सोचा न था जल्द होगा जुदा पिता-पुत्र का घर और चौका-चूल्हा ।
है कैसी विडम्बना, होते ही ब्याह तुम्हारे लाडले का,
बदलता है रंग कैसे देखो वह गिरगिट सा,
कहां है पिता कैसी माता ? शत्रु लगे उसे बंधु-सखा,
आहत कर मर्म को, त्याग कर धर्म-शर्म को,
चखाने चला वह सबको मजा ।
सोचा है कभी, यह पुत्र है वही, जन्म लेने पर तुमने क्या-क्या न सही,
पाया था थोड़ा सा ज्यादा खो दिया,

हंसा जरा सा, ज्यादा ही रो दिया,
बनाने में परायों को अपना, अपना पराया हो गया,
घर लाने की लालसा वधू के, अपना ही बेटा खो दिया ।

****

गजल

*श्री अशोक सिंह, **जबलपुर ।***

ख्वाब में भी वही, चेहरा सा नजर आता है ।
कल का हरपल भी सुनहरा सा, नजर आता है ।।
न रुका है, न रुकेगा, कभी यह वक्त ।
बन्द आँखों में वो ठहरा सा नजर आता है ।।
जिन्दगी एक महकता हुआ गुलशन ।
बिन तेरे यह मुझको, सहमा सा नजर आता है ।।
राज की बात, सीने में न हो जाये दफन ।
उन सदाओं का असर, क्यों न हुआ अब तक,
अब तो अल्लाह भी, बहरा सा नजर आता है ।।
आज देखा है तो कल, प्यार से बोले शायद ।
परचम-ए-इश्क भी, फहरा सा नजर आता है ।।
जिन्दगी कैसे बसर होगी, तेरे बिन ।
दिल का हर जख्म ही गहरा सा नजर आता है ।।

****

सियाचिन

करीब 76.4 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर उत्तरी लद्दाख के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है । भारत, चीन और पाकिस्तान के कब्जे वाले उत्तरी कश्मीर के इस जंक्शन प्वांइट पर इस तरह के कुल 22 ग्लेशियर हैं । इनकी ऊंचाई 11,400 से 20,000 फीट तक है । यहां का औसत तापमान 0 से - 50 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है । यह तापमान ऐसा है कि अगर भूल से भी शरीर का कोई हिस्सा गर्म कपड़ों से बाहर रह जाए तो हमेशा के लिए खराब हो सकता है । मौसम की इन्ही जटिलताओं के कारण, अच्छे से अच्छा भोजन लेने पर भी वहां तैनात सैनिकों का वजन प्रति महीने 5 से 8 किलो घट जाता है ।

हिंदी भाषा

श्रीमती गीता मिश्रा, लखनऊ ।

आओ मिलकर कसम उठाएं, हिंदी को हम सब अपनाएं ।
भाषा करती भाव संचरण, जोड़े मानव से मानव मन,
हिंदी में ये गुण अधिकाधिक, फिर भी क्यों इसको ठुकराएं ।
आओ मिलकर कसम उठाएं, हिंदी को हम सब अपनाएं ।

प्रति भाव विवेचन में सक्षम, इसमें अपवाद हैं सबसे कम,
अक्षर इसके अति सरल सौम्य, मस्तिष्क सहित मन को भाए,
आओ मिलकर कसम उठाएं, हिंदी को हम सब अपनाएं ।

पूरब-पश्चिम, दक्षिण उत्तर, हिंदी बोलें सब मिल-जुल कर,
फिर भी क्यों बड़े विवाद उठें, सच्चाई जबरन झुठलाएं ।
आओ मिलकर कसम उठाएं, हिंदी को हम सब अपनाएं ।

साहित्य संपन्न और लोचदार, हर भाषा से है खूब प्यार,
इसकी पहचान है विश्व-विदित, फिर परभाषा क्यों पढ़े-पढ़ाएं ।
आओ मिलकर कसम उठाएं, हिंदी को हम सब अपनाएं ।

भारत मां के ह्रदय की वाणी, इससे है अभिव्यक्ति हमारी,
जोड़े इसको जन-जन मन से, हिंदी हिंदुस्तान बनाएं ।
आओ मिलकर कसम उठाएं, हिंदी को हम सब अपनाएं ।

****

विचार

ऐसा नहीं है कि इस संसार के सभी लोग निषेधात्मक भावों से ही भरे हों, दरअसल इस दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं । प्रश्न यह उठता है कि यदि अच्छे इंसान हैं तो वे दिखाई क्यों नहीं देते ? ऐसा कहने वाले यह नहीं सोचते कि अच्छे लोगों को देखने के लिए भी तो सही दृष्टि चाहिए। जो व्यक्ति निषेधात्मक भावों में जीता है वह स्वर्ग में भी जाए तो उसे बुराई ही नजर आएगी । जो हमने खोया है उस पर आंसू न बहाकर, हमें जो मिला है उस पर खुश होना सीखना चाहिए । अच्छाई हर युग में, हर समाज में और हर व्यक्ति में होती है । *जरूरत उसे पहचानने की होती है । जरूरत यह है कि हम उस अच्छाई के साथ जीना सीखें, उस अच्छाई के लिए जीना सीखें ।*

अंतर

श्रीमती गीता मिश्रा, लखनऊ ।

तुम सरल तरल सरिता सी, मैं व्यर्थ का बांध विहंगम ।
तुम कोमल पत्ते सी हिलती, या कली जो प्रातः को खिलती ।
तुम लता वल्लरी के जैसी, बिंध विटप माप लेती वैसी ।
मैं रूख तुम्हारे निकट खड़ा, करता जड़ता पर दर्प बड़ा ।
फिर भी इतनी तन्मयता से तुम आकर लिपटी मेरे तन ।
तुम सरल तरल सरिता सी, मैं व्यर्थ का बांध विहंगम ।

तुम निर्भय, निर्विवाद प्रतिपल बहती रहती हो भाव विह्वल ।
तुम किसी रोक से न डिगती, स्वत्व लिए मुझसे मिलती ।
मैं कटु जिह्वा गंभीर बना, अपनी अकर्मण्यता पर ही तना ।
फिर भी तुम मिलने को आकुल, क्या दे पाता तुमको संगम ।
तुम सरल तरल सरिता सी, मैं व्यर्थ का बांध विहंगम ।

****

संकल्प की शक्ति

उन दिनों गांधीजी दक्षिण अफ्रीका में थे । वहां उनके कई ईसाई मित्र थे, जो बाइबल के जानकार थे । एक दिन उनमें से एक ने कहा, 'हमने वेद, पुराण और रामायण के बारे में काफी सुना है मगर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है । आप कुछ बताएं।' गांधीजी ने कहा, 'हमारे ज्यादातर धर्म ग्रंथ संस्कृत में है और मुझे संस्कृत नहीं आती।' ईसाई मित्र बोला, 'आप कैसे भारतीय हैं कि आपको अपनी संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है।' गांधीजी चुप रह गये । दूसरे दिन से उन्होने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया । उन्होने तय कर लिया कि जब तक वह भारतीय संस्कृति और धर्मों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते तब तक किसी से नहीं मिलेंगे । गांधीजी सुबह पंद्रह मिनट मुंह धोने और बीस मिनट स्नान करने में लगाते थे । उन्होंने इस समय का उपयोग करने की सोची । वह जहां दातुन और स्नान करते थे वहां की दीवार पर गीता के श्लोक लिख कर चिपका देते और उसे रटते । याद होने पर दूसरा श्लोक चिपकाते । इस तरह एक महीने में उन्हें तेरह अध्याय याद हो गए । उसके साथ ही उन्होंने विवेकानंद की पुस्तकों और पतंजलि के योगदर्शन का भी अध्ययन किया । फिर एक दिन वह अपने मित्रों की मंडली में पहुंचे और धाराप्रवाह श्लोक पढ़ने लगे । इस पर उनके ईसाई मित्र ने कहा, 'आप तो कहते थे कि आपको संस्कृत नहीं आती।' गांधीजी बोले, 'यह सब मैंने इच्छाशक्ति से हासिल किया है । किसी में इच्छाशक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं।'

****

राजभाषा "हिंदी" को बढ़ाने के उपाय

श्री तरुण कुमार, मुंबई ।

चीन, फ्रांस, जर्मनी आदि विश्व के प्रभावशाली देशों में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग न करके अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है किन्तु विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने तथा आबादी की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखने के बाबजूद भारत में सरकारी कामकाज प्रायः अंग्रेजी में ही किया जाता है । हमारे देश में ऐसी परंपरा अंग्रेजो के समय से ही चली आ रही है । देश आजाद हो गया, हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिल गई किन्तु उनकी भाषा की गुलामी से मुक्ति नहीं मिल पाई । देश की कुल आबादी के 3% लोग ही ऐसे हैं जिनकी अंग्रेजी की समझ अच्छी है जबकि केंद्र सरकार के कार्यालयों में अंग्रेजी पूरी तरह से हावी है । सरकारी कार्यालयों में हिंदी में काम करने का दायित्व कर्मचारी की अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है जिसके कारण कार्यालयों में हिंदी का विकास नहीं हो पा रहा है । सन 1955 से ही भारत सरकार का गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देता आ रहा है लेकिन यह प्रशिक्षण केवल ज्ञान तक ही सीमित रह जाता है और कार्यालयों में इसका प्रयोग नहीं हो पाता है । हिंदी के विकास के लिए भारत सरकार भारी खर्च कर रही है । प्रत्येक कार्यालय में हिंदी अनुभाग बनाया गया है, प्रत्येक मंत्रालय में राजभाषा एकक बनाया गया है, गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इस प्रकार भारत सरकार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी को लागू करने के लिए प्रत्येक वर्ष करोड़ो रुपये खर्च कर रही है लेकिन उसका आशान्वित परिणाम नहीं मिल पा रहा है ।

हमें केवल केंद्र सरकार के कार्यालयों तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में हिंदी के विकास के विषय में सोचना चाहिए । जिस प्रकार हम अपने शैक्षणिक जीवन में इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित आदि विषयों का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार चाहिए कि देश के सभी राज्यों में दसवी कक्षा तक हिंदी एक विषय के रूप में अनिवार्य हो । इससे पूरे भारतवर्ष के छात्र हिंदी को अच्छे से जानेंगे, समझेगे । इसका परिणाम हमें सरकारी कार्यालयों में भी दिखेगा । आज कार्यालयों में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होने अपने शैक्षणिक जीवन में कभी हिंदी पढ़ा ही नहीं है तो भला वे हिंदी में काम कैसे करेंगे ! हिंदी जब जड़ से मजबूत होगी तभी भविष्य में हमें उसके मीठे फल खाने को मिलेंगे ।

जब परीक्षार्थी कर्मचारी चयन आयोग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग आदि की परीक्षाओं में शामिल होते हैं तो अंग्रेजी, गणित, सामान्य बुद्धिमता, सामान्य ज्ञान का विषय होता है, किंतु हिंदी का प्रश्नपत्र नहीं होता है । भर्ती परीक्षाओं के समय हिंदी के ज्ञान की जांच नहीं की जाती । भर्ती परीक्षाओं में हिंदी को एक विषय बनाया जायेगा तो सारे देश के छात्र हिंदी अवश्य पढ़ेंगे और हिंदी

का अच्छा ज्ञान होने पर वे कार्यालयों में भी हिंदी में अच्छा काम करेंगे । इससे कार्यालयों में हिंदी का वातावरण बनेगा और धीरे-धीरे हिंदी में काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी । जबकि अभी स्थिति ऐसी है कि जो कार्यालय में हिंदी में काम करते हैं उन्हें निम्न दृष्टि से देखा जाता है । ऐसी विषम परिस्थिति को दूर करने के लिए चाहिए कि जो कर्मचारी हिंदी में काम करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन के रुप में कुछ अतिरिक्त भत्ते दिए जाएं, पुरस्कारों से सम्मानित किया जाए अथवा पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएं ।

हर व्यक्ति अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में ही पढ़ाना चाहता है और इसके लिए फीस और डोनेशन के रुप में इन स्कूलों में लाखों रुपये भरता है । इसका प्रमुख कारण है कि हमारे देश में अभियांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, वकालत, प्रबंधन, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि जितनी भी उच्च शिक्षाएं हैं, उनका माध्यम अंग्रेजी है । अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करना खर्चीला है, इसलिए गरीब व्यक्ति ऐसी शिक्षा से दूर हो जाता है । प्रयास होने चाहिए कि ऐसे विषयों की पुस्तकें हिंदी में भी उपलब्ध हो, इन विषयों को हिंदी माध्यम से पढ़ाने के लिए अध्यापकों की भर्ती की जाए जिससे देश के सभी वर्गों के लोग ऐसी शिक्षा पा सकें और देश का सर्वांगीण विकास हो । ऐसा करना कठिन है पर असंभव नही क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारत सरकार की सर्वोच्च सेवाओं, जैसे- भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि के लिए आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थी हिन्दी माध्यम से उतीर्ण होते हैं तो उपर्युक्त विषयों की पढ़ाई भी हिन्दी माध्यम से अवश्य की जा सकती है ।

उपर्युक्त मुद्दों के होते हुए भी, राजभाषा हिंदी का विकास केवल सरकारी प्रयासों से ही संभव नहीं है, बल्कि देश के सभी नागरिकों के मन में हिंदी के प्रति सम्मान जगे तथा वे खुद हिंदी सीखने के लिए उत्सुक हो, तभी पूरे भारतवर्ष में हिंदी का बोलबाला होगा और हिंदी को पुनः अपना खोया हुआ सम्मान मिलेगा ।

सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,

हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा ।

मुहम्मद इकबाल की ये पंक्तियां अनमोल हैं । इससे पता चलता है कि "हिंदी" हर हिंदुस्तानी की पहचान है । हिंदी देश की संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है । हिंदी देश के प्राणों का स्पंदन है । महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हिंदी और देश की आजादी का प्रश्न, दोनो उनके लिए एक ही महत्व का है । किंतु हम अभी तक गांधी जी के सपनों को साकार नहीं कर पाये हैं । सच्चाई तो यही है कि हर हिंदुस्तानी की अंतर आत्मा में हिंदी ही बसी है, न कि अंग्रेजी । जब कोई इंसान भारी मुसीबत में पड़ता है तो उसके मुख से यही वाणी निकलती है कि हे भगवान ! मेरी रक्षा करो, वह ऐसा नही बोलता- Oh God ! Help me. इससे पता चलता है कि हर हिंदुस्तानी के

अंतरमन में हिंदी ही है । पर जिस प्रकार घनघोर बादल सूर्य की रौशनी को अपनी परतों में छिपा लेते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी के बादलों के पीछे हिंदी का उजाला छिप गया है । लेकिन रौशनी कभी बादलों से नहीं मिल सकती और आज न कल उनका बरस कर खत्म हो जाना तय है । उसी प्रकार कभी न कभी पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजी का प्रभाव जरूर कम होगा और हिंदी की रौशनी से पूरा हिंदुस्तान जगमगायेगा ।

****

विपदाएं

प्रतिकूल परिस्थितियों का भी जीवन में अपना महत्व है । जैसे किसान झाड़-झंखाड़ों का सदुपयोग करके उनकी मदद से बाड़ बनाकर खेत की रक्षा करता है, ताकि उसके खेत में मवेशी न आ सकें । वैसे ही विपत्तियों, कष्टों और परेशानियों से भी मनुष्य लाभ उठा सकता है । हममें से ज्यादातर लोग विपदाओं को हानिकर मानते हैं । उनसे डरकर दुखी हो जाते हैं । स्थितियों के विपरीत होते ही अपना साहस छोड़ बैठते हैं । विपत्तियों का सामना करने से मनुष्य की सूझ-बूझ बढ़ती है । उसकी शक्तियां विकसित होती हैं । जैसे कमजोर व्यक्ति भी अखाड़े में अपने से बड़े पहलवान से लड़ते-लड़ते मजबूत बन जाता है, वैसे ही विपत्तियों के खरल में कुट-पीस कर आदमी अधिक सबल एवं सामर्थ्यवान बनता है । जीवन में प्रायः वे लोग सफल होते हैं, जो शुरू से ही विपत्तियों से लोहा लेते हैं । उनसे सबक सीखते हैं । जिन कष्टों से बचा नहीं जा सकता, उनके बारे में यह देखना चाहिए कि कैसे उनका अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता है । और कुछ नहीं तो उन्हें अभ्यास का अवसर ही समझ लें । अनुकूलता- प्रतिकूलता जीवन में धूप और छाया की तरह हैं । जो कष्टों से गुजरता है, वह मजबूत बनता है । विपरीत परिस्थितियां मनुष्य के सोये हुए मनोबल को जगाती हैं और उसकी दृढ़ता में बढ़ोतरी करती है । जो विपत्तियों से घबराता है, वह निर्बल है, वह चीख-चिल्लाकर रह जाता है, पर अपनी कमजोरी दूर नहीं करता । विपत्तियां हमें सावधान करती हैं, सजग बनाती हैं । जो पुरूषार्थी है, वह विपत्तियों पर विजय प्राप्त करता है । भगवान पर विश्वास रखकर पुरूषार्थ करने से परिस्थितियों को बदला जा सकता है । हमसे प्रायः यह भूल होती है कि हम परिस्थितियों को तो दोष देते हैं, किंतु अपनी त्रुटियों की ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें दूर करने की बात ही नहीं सोचते । यदि मनुष्य अपने मन में दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं हर स्थिति का सामना करूंगा तो वह निश्चित ही आगे बढ़ेगा । उसका निश्चय उसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगा, सफलता दिलाएगा । विपत्तियों से डरना नहीं चाहिए, अपितु पुरूषार्थ और भगवद् आश्रय से साहस पूर्वक उनका सामना करना चाहिए । हर स्थिति पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य आपमें भरा है । भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । प्रतिकूलताओं से घबराइए नहीं । केवल मन के दुर्बल होने पर ही वे मनुष्य को विचलित करती हैं । आपमें शक्ति का अक्षय भंडार भरा है । उसे पहचानिए । अगर जीवन में आत्मबल, धैर्य, साहस, पुरूषार्थ, विवेक और ईश्वर आश्रय हो तो हरेक परिस्थिति में विजय प्राप्त किया जा सकता है ।

चोर ने दिखाया आईना

श्री राजेश रंजन, कोलकाता ।

बहुत पुरानी बात है । एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया । उसे दरबार में पेश किया गया । मामला सुनने के बाद राजा ने उसे फांसी की सजा दे दी । जब उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा- मैं महाराज का एक बार दर्शन करना चाहता हूं । राजा दयालु था । वह मिलने चोर के पास गया । चोर ने कहा - राजन ! मैंने अपराध किया है । मुझे मरने का कोई कोई अफसोस नहीं है, पर एक विद्या मेरी मृत्यु के साथ ही लुप्त हो जायेगी, इसी का अफसोस है । राजा ने पूछा- कौन सी विद्या ? चोर बोला - सोने की खेती की । मैं खेतों में सोना देने वाला पेड़ लगा सकता हूं । राजा ने फांसी की सजा स्थगित कर दी । चोर के कहने पर एक बड़ा सा खेत जुतवा दिया गया । एक माह में खेत की अच्छी तरह जुताई कर दी गई । कोई मिट्टी की जांच करता, कोई नमी की । राजा स्वयं दिन में चार-पांच बार जाकर देखता । जिस दिन बीज बोने का क्रम आया, सारी प्रजा खेत के चारो ओर खड़ी थी । चोर पहुंचा । उसने अपनी जेब से काले-काले जंगली घास जैसे बीज निकाले । एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर बोला- यह स्वर्णलता के बीज हैं जो मैं शलय देश से लाया था, पर काश मैं पहले से चोर नहीं होता तो खुद ही सोना उगाकर पृथ्वी का कुबेर बन जाता । इन बीजों को वही बो सकता है जिसने पहले कभी चोरी न किया हो, कोई अपराध न किया हो । सभी ने कभी न कभी अपराध या चोरी की ही थी, इसलिए सब वहां से खिसक गए । जब राजा भी जाने लगा तो वह बोला- महाराज, आप तो बो ही सकते हैं । वे कैसे बोते । स्वयं उन्होंने अपने बचपन में न जाने कितनी बार चोरी की थी । तब चोर बोला - महाराज, मुझे अकेले को फांसी क्यों दे रहे हैं ? राजा दयालु भी था, विचारक भी । उसने चोर को क्षमा कर दिया । चातुर्य से आंतरिक कमजोरियों की बात कहकर उस चोर ने स्वयं को बचा लिया और सबको आईना भी दिखा दिया ।

****

किताबें

श्री राजेश रंजन, कोलकाता ।

कुछ सुनाना चाहती है किताबें, गुन गुनाना चाहती है किताबें,
इनमें है ज्ञान की परिभाषा, इनमें है जीवन की आशा,
किताबों में है चिड़ियों का चहचहाना, किताबों में है खेतों का लहलहाना,
किताबों में है सुभाष और बापू की कहानी, किताबों से जानी वीरों की जवानी,
किताबें हैं ज्ञान-विज्ञान, किताबों ने खोला दुनिया का राज,
किताबों ने दी कानून को आवाज, किताबों से समझो अपना समाज,
यही देगा तुम्हे नया संसार, करो दोनों हाथों से इसे प्रणाम,
इसमें है माता सरस्वती का वास ।

****

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें

'जी' पीठ, मुंबई में

श्री/सर्वश्री डी.के. अग्रवाल (न्यायिक सदस्य) तथा आर.के. पंडा (लेखा सदस्य) के समक्ष

आ.अ.सं. 2046/मुंबई/2010

(निर्धारण वर्षः 2005-06)

श्री मनीष छाबड़ा C/O एन. वर्मा & एसोसिएट्स, 56-बी मित्तल टॉवर, 210, नरीमन पाइंट, मुंबई-4000 21 **PAN- AABPC0432F**	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त सर्कल 20(2), पिरामल चैम्बर्स, मुंबई
अपीलार्थी		**प्रत्यर्थी**

अपीलार्थी : श्री के. गोपाल एवं जितेन्द्र सिंह

प्रत्यर्थी : श्री आर.के. गुप्ता

आदेश

डी.के. अग्रवाल (न्यायिक सदस्य)

निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत यह अपील, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश, दिनांक 03.12.2009, निर्धारण वर्ष 2005-06 के विरुद्ध निर्देशित है ।

2. मामले के तथ्यों का सार यह है कि निर्धारिती, एक व्यक्ति के तौर पर वेतन, गृह-संपत्ति, फर्म के साझीदार के रुप में व्यवसायिक आय, पूंजीगत लाभ तथा अन्य स्त्रोतों से आय प्राप्त करता है । निर्धारिती द्वारा कुल आय रू. 49,84,640/- की घोषणा करते हुए रिटर्न जमा किया गया । कर-निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण अधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पाया कि निर्धारिती ने मेसर्स हाइजिनिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट से होने वाली आय का रिटर्न, फॉर्म सं. 16 में संलग्न करते हुए आयकर अधिनियम, 1961(अधिनियम) की धारा 10 के तहत् रू. 6,50,000/- की छूट का क्लेम किया है । इस विषय में निर्धारिती से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि वेतन से होने वाली आय पर रू. 6,50,000/- की छूट का क्लेम किस आधार पर किया गया है । प्रतिक्रिया में, निर्धारिती द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि उसने दिनांक 31.12.2004 से मेसर्स हाइजिनिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट के सीईओ का पद त्याग दिया है । तत्पश्चात, निर्धारिती उसी फर्म मेसर्स हाइजिनिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट में दिनांक 14.03.2005 से पार्टनरशिप डीड, दिनांक

01.01.2005 के द्वारा कैलाश छाबड़ा HUF के कर्ता के रुप में एक साझेदार बन गया है । निर्धारिती ने पदत्याग करने पर ग्रैज्यूटी तथा अवकाश नकदीकरण के रुप में रू. 6,50,000/- प्राप्त किए जिसमें से रू. 3,00,000/- अवकाश नकद भुगतान और रू. 3,50,000/- ग्रैच्यूटी की राशि थी जिस पर क्रमशः अधिनियम की धारा 10(10AA)(ii) तथा धारा 10(10)(iii) के अंतर्गत छूट का क्लेम किया गया था । निर्धारण अधिकारी ने कर-निर्धारण में यह पाया कि अधिनियम की धारा 10(10AA)(ii) तथा धारा 10(10)(iii) के प्रबंधों के अनुसार संबंधित छूट केवल सेवानिवृत्ति पर ही उपलब्ध है न कि त्यागपत्र दिए जाने पर । आगे यह पाया गया कि निर्धारिती ने दिनांक 23.10.2007 के पत्र द्वारा मेसर्स हाइजिनिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट के CEO के पद से त्यागपत्र दिया है जिसे सेवानिवृत्ति नहीं माना जा सकता । इस कार्यवाही के लिए निर्धारण अधिकारी ने 27 TTJ 156 में उल्लिखित अधिकरण के आदेश, आयकर अधिकारी बनाम कैप्टन एस.एस. ढिल्लन के मामले को आधार बनाया है जिसमें यह तथ्य पाया गया है कि सेवानिवृत्ति शब्द जब वार्धक्य-निवर्तन (सुपरऐनुएशन) के साथ पढ़ा जाता है तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि व्यक्ति संबंधित सेवा की अवधि पूरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहा है जो उसे निश्चित सेवानिवृत्ति लाभ जैसे-पेंशन, ग्रैज्यूटी, इत्यादि का हकदार बनाती है । परन्तु, संबंधित धारा, सेवानिवृत्ति को वार्धक्य-निवर्तन से अलग देखती है । सुपरऐनुएशन के अतिरिक्त संविदा सेवा से त्यागपत्र सेवानिवृत्ति शब्द के अनुरुप नहीं है, क्योंकि त्यागपत्र देना और सेवानिवृत्त होना एक समान नहीं है । तदनुसार, उस मामले में अधिकरण ने माना है कि अपीलार्थी, अधिनियम की धारा 10(10AA)(i) अथवा (ii) के अंतर्गत छूट का पात्र नहीं है । निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उद्धृत आयकर आयुक्त बनाम डी.पी. मल्होत्रा (229 ITR 394) तथा आयकर आयुक्त बनाम आर.जे. साहनी (159 ITR 160) के Case Laws में दिए गए दोनों निर्णयों को इस मामले से इस आधार पर अलग माना है कि उनके तथ्य इससे भिन्न हैं । निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के दिनांक 19.06.1973 के बोर्ड नोटिफिकेशन से संबंधित आवेदन के क्लेम को भी अस्वीकार किया है । अंततः, निर्धारण अधिकारी का मत यह है कि स्वयं निर्धारिती ने यह स्वीकार किया है कि उसके कार्य की वही कार्यप्रणाली है जो उसके त्याग पत्र के पूर्व थी । अतः, निर्धारण अधिकारी के अनुसार यह पूरी व्यवस्था कर से बचने का एक साधन मात्र है । इसके पश्चात उन्होने उन्होने आगे यह भी पाया कि धारा 10(10) तथा धारा 10(AA) के अंतर्गत छूट केवल सेवानिवृत्ति या नौकरी से निष्कासन के मामले में ही उपलब्ध है । चूंकि अपीलार्थी के जॉब प्रोफाइल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा वह उसी फर्म में समान क्षमता पर बिना किसी समयावरोध के कार्य करता आया है, इसलिए अपीलार्थी क्लेम की गई छूट का पात्र नहीं है । तदनुसार, छूट के क्लेम को अस्वीकृत किया जाता है ।

3. अपील में, निर्धारण अधिकारी के अस्वीकृति से सहमत होते हुए विद्वान आयकर आयुक्त(अ) ने मैकडॉवेल एंड कंपनी लि. बनाम सीटीओ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय,

154 ITR 148(SC) को आधार माना है जिसमें यह तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया यह पूरा प्रबंध केवल कर के भार को कम करने के लिए है, जो कि भ्रम में डालने का एक तरीका है, अतः उन्होंने निर्धारण अधिकारी के द्वारा निर्धारित अस्वीकृति की पुष्टि की है ।

4. विद्वान आयकर आयुक्त(अ) के आदेश से असंतुष्ट, निर्धारिती आधार सं. 1.1 से 1.3, जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा रू. 6,50,000/- की अस्वीकृति की पुष्टि की गई है, को चुनौती देते हुए हमारे समक्ष अपील में है ।

5. सुनवाई के समय, निर्धारिती के विद्वान काउंसेल ने वही दोहराया जिन्हें निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा कहा कि विद्वान आयकर आयुक्त (अ) ने आयकर आयुक्त बनाम डी.पी. मल्होत्रा (1998) 229 ITR 394 (बाम्बे) के मामले में माननीय आधिकारिक उच्च न्यायालय के निर्णय को आधार मानते हुए यह माना है कि जिसमें यह माना गया है कि अधिनियम की धारा 10(10AA) में 'सेवानिवृत्ति' शब्द का व्यापक अभिप्राय है जिसमें त्यागपत्र के द्वारा हुई सेवानिवृत्ति भी सम्मिलित है, अतः धारा 10(10AA) के अंतर्गत त्यागपत्र देने पर अवकाश नकदीकरण की राशि छूट के योग्य है । तदनुसार निर्धारिती के काउंसेल ने यह प्रस्तुत किया है कि निर्धारिती का मामला माननीय आधिकारिक उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित मामले के सदृश है, अतः निर्धारिती के द्वारा रू. 6,50,000/- की छूट के क्लेम को पूरी तरह से स्वीकृत किया जाए । इस संबंध में मैकडॉवेल एंड कंपनी लि. (सुप्रा) के मामले में विद्वान आयकर आयुक्त(अ) द्वारा लिए गए आधार पर निर्धारिती के काउंसेल ने विश्वास तो जताया किन्तु उन्होने यह प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त निर्णय (सुप्रा) इस मामले के लिए अप्रयोज्य है ।

6. दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि, निर्धारण अधिकारी तथा विद्वान आयकर आयुक्त (अ) के आदेश से सहमत हैं ।

7. हमने विरोधी पक्षों के अनुरोध तथा रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । हम यह पाते हैं कि निर्धारिती मे. हाइजिनिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट में 01 जुलाई, 1991 से सेवा में था तथा उसने दिनांक 31.12.2004 को फर्म से त्यागपत्र दे दिया । निर्धारिती को सेवानिवृत्ति लाभ के रुप में रू. 3.00,000/- की राशि अवकाश नकदीकरण से प्राप्त हुई जिस पर उसने अधिनियम की धारा 10(10AA)(ii) के अंतर्गत छूट का क्लेम किया तथा रू. 3,50,000/- की राशि ग्रैच्यूटी से प्राप्त हुई जिस पर उसने अधिनियम की धारा 10(10)(iii) के अंतर्गत छूट का क्लेम किया । इन तथ्यों में कोई विवाद नहीं है । हालांकि निर्धारण अधिकारी ने इसे इस आधार पर अस्वीकृत किया है कि निर्धारिती के पत्र दिनांक 23.10.2007 के अनुसार निर्धारिती ने में. हाइजेनिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट के CEO के पद से त्यागपत्र दिया है जिसे इन परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति नहीं

माना जा सकता है । निर्धारण अधिकारी ने इस मामले में कैप्टन एस.एस. ढिल्लन (सुप्रा) के मामले को आधार बनाया है । परन्तु दूसरी ओर निर्धारिती ने डी.पी. मल्होत्रा (सुप्रा) के मामले में माननीय आधिकारिक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि उक्त निर्णय के अनुसार सेवानिवृत्ति शब्द का अर्थ धारा 10(10AA) के अंतर्गत व्यापक महत्व का है तथा त्यागपत्र के द्वारा होने वाली सेवानिवृत्ति भी इसमें शामिल है, अतः उपरोक्त का अनुसरण करते हुए यह क्लेम किया गया है कि त्यागपत्र पर प्राप्त होने वाला अवकाश नकदीकरण तथा ग्रैच्युटी अधिनियम की धारा10(10AA)(ii) तथा धारा 10(10)(iii) के अंतर्गत छूट के स्वीकार्य योग्य है ।

8. डी.पी. मल्होत्रा (सुप्रा) के मामले में उनके न्यायधीशों के समक्ष मुद्दा निम्नानुसार था :

"क्या अधिकरण आयकर आयुक्त (अ) के निर्णय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कायम रखने में विधिसम्मत है जिसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(10 AA) के अंतर्गत छूट को स्वीकृत किया गया है जबकि निर्धारिती ने अपने नियोक्ता शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के द्वारा जारी वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार अपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था ?"

इसे निम्नानुसार कायम रखा गया है :

6. *" चूंकि सेवानिवृत्ति तथा त्यागपत्र दोनो ही सेवा की समाप्ति का परिणाम है । अतः सेवा से त्यागपत्र दिया जाना सेवानिवृत्ति का ही एक प्रकार है । कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देना सेवानिवृत्त होने का एक ऐच्छिक निर्णय है । जब भी कोई कर्मचारी अपने पद से त्यागपत्र देता है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका दिया गया त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है उस तिथि से कर्मचारी की सेवा समाप्त मानी जाती है । जब तक कि इसके विपरीत कोई विधिक अथवा वैधानिक नियम सेवा की शर्तों को संचालित न करता हो । दूसरे शब्दों में, त्यागपत्र की स्वीकृति का अर्थ है कर्मचारी का सेवा से सेवानिवृत्त होना । जबकि क्ला. 10(AA) की व्याख्या से यह स्पष्ट है कि इसका अर्थ व्यापक तरीके से लिया जाता है तथा सेवानिवृत्ति में वे सभी संभावित अर्थ शामिल हैं चाहे वह वार्धक्य-निवर्तन पर हो अथवा किसी अन्य प्रकार से । इस क्लॉज के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सेवानिवृत्ति किससे संबद्ध है- यह किस तरह से लिया गया है । अतः यह स्पष्ट है कि कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र द्वारा ली गई सेवानिवृत्ति से अवकाश नकदीकरण के बतौर कोई भी राशि ग्रहण की जा सकती है जिसपर धारा 10(10AA) लागू होगा तथा क्लॉज के अनुसार यहां उल्लिखित सीमा तक निर्धारिती को लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा । "*

7. *हमारा मत आयकर आयुक्त बनाम आर.जे. शाहनी (1986) 159 ITR 160 (मद्रास) : TC 32R.558 में दिए गए मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय से समर्थित है । उस मामले में भी निर्धारिती ने अपने*

नौकरी से त्यागपत्र देकर सेवानिवृत्ति ग्रहण किया था । राजस्व का यह विवाद था कि वार्धक्य निवर्तन के अलावा एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर सशर्त सेवानिवृत्ति अथवा किसी अन्य कारण से सेवानिवृत्ति हुई हो तो उसे सेवानिवृत्ति नहीं मानी जाएगी । राजस्व के इस विवाद को अस्वीकार करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कायम रखा ।

" सेवानिवृत्ति विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं । यह वार्धक्य निवर्तन अथवा ऐच्छिक हो सकती है । सेवा से यदि कोई ऐच्छिक सेवानिवृत्ति होती है तो हम संतुष्ट हैं कि धारा 10(10 AA) के प्रबंध लागू होंगे । "

8. *उपरोक्त दृष्टिकोण में हमें निर्दिष्ट प्रश्न का सकारात्मक उत्तर निर्धारिती के पक्ष में देते हैं।*

9. आयकर आयुक्त बनाम वालफोर्ट शेयर एंड स्टाक ब्रोकर्स प्रा.लि. (2009) 310 ITR 421(बाम्बे) में यह अवलोकित किया गया है तथा यह निम्नलिखित रुप से कायम है (पृष्ठ 443 में) :

.....अपने विचारों को बल देने के लिए राजस्व के काउंसेल ने *मैकडॉवल एंड कंपनी (1985) 154 ITR 148 के मामले में अपेक्स न्यायालय के निर्णय पर गहरा विश्वास जताया है तथा यह उद्धृत किया है कि उक्त मामले का ट्रांजेक्शन भ्रांतिमूलक है तथा उक्त ट्रांजेक्शन मात्र कृत्रिम नुकसान दिखाने के उद्देश्य से किया गया है ताकि कर का भार कम किया जा सके । उक्त निर्णय का वर्तमान मामले के दिए गए तथ्य से कोई संबंध नहीं है । उक्त मामले में निर्धारिती का उतरदायित्व था कि उसके कुल बिक्री के एवज में उत्पाद शुल्क का भुगतान करे । हालांकि सदभावनापूर्ण युक्ति से निर्धारिती ने खरीददार को उत्पाद-शुल्क के भुगतान का उत्तरदायी बनाया था। हालांकि खरीददार उत्पाद शुल्क के भुगतान का उत्तरदायी नहीं था, यह स्पष्ट था कि खरीददार द्वारा विभाग को उत्पाद शुल्क की किसी भी राशि का भुगतान नहीं करना था किन्तु वह बिक्री के मूल्य में शामिल किए जाने योग्य था । इस मामले में यह कायम किया गया था कि यह ट्रांजेक्शन एक भ्रांतिमूलक युक्ति है । वर्तमान मामले में कोई भी ट्रांजेक्शन विधिक प्रबंधो का उल्लंघन करता हुआ नहीं पाया गया है । अतः मैकडॉवेल एंड कंपनी लि. के मामले में अपेक्स न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय राजस्व के मामले को बल नहीं देता है ।*

यह नोट करना संगत है कि आजादी बचाओ आंदोलन के मामले (2003) 263 ITR 706 में अपेक्स कोर्ट ने यह कायम किया है कि प्रत्येक ट्रांजेक्सन अथवा प्रबंध जो कि विधि के अनुसार पूर्णतः अनुज्ञेय है किन्तु निर्धारिती के कर के भार को कम करने वाला हो, उन सभी ट्रांजेक्सन को असंगत अथवा उपेक्षित नहीं माना जा सकता है । वर्तमान मामले में निर्धारिती ने यह प्रमाणित किया है कि यूनिटस लाभांश अर्जित करने के लिए खरीदे गए थे तथा लाभांश प्राप्त करने के तुरंत बाद यूनिटस की बिक्री निर्धारिती के द्वारा लिया गया एक व्यवसायिक निर्णय था । यधपि, ग्रिफिथ्स्

(1965) 58 ITR 328 (PC) के मामले में अधिकांश निर्णय इस बात का समर्थन करते हैं कि विवेचन में लिया गया ट्रांजेक्शन एक लेन-देन का ट्रांजेक्शन था तथा किसी आरोप के अभाव में यह एक बनावटी ट्रांजेक्शन था । निर्धारिती किसी भी वित्तीय प्रभाव के बिना नुकसान का क्लेम करने का अधिकारी था । ग्रिफिथ्स् मामले में दृष्टिकोण जिसे कि फिन्सवरी सिक्युरीटीज (1966) 43 TC 591 (HL) तथा लुपटान (1971) 47 TC 580 (HL) ने एक लघु विचार का अनुसरण किया है जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इन मामलों में तथ्य पूरी तरह से अलग हैं । CCE बनाम मोदी एल्केलाइज एंड केमिकल्स लि. जो कि 171 E.L.T. 155 में रिपोर्टेड है, के भी तथ्य अलग हैं क्योंकि उस मामले में दोनो Entities एक-दूसरे पर निर्भर थे तथा उनका एक ही वित्तीय प्रबंध था तथा वर्तमान मामलें में स्पष्टतः निर्धारिती तथा म्युचुअल फंड दो स्वतंत्र एवं पूरी तरह से असंबद्ध Entities हैं ।

10. प्रस्तुत प्रकरण, जिसमें निर्धारिती ने अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लाभ, यथा- अवकाश नकदीकरण तथा ग्रैच्यूटी पर छूट का क्लेम किया है तथा जो डी.पी. मल्होत्रा (सुप्रा) के मामले में माननीय आधिकारिक उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय से समर्थित है, को केवल इस आधार पर भ्रम में डालने का तरीका नहीं माना जा सकता कि निर्धारिती ने मेसर्स हाइजिनिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट के CEO के पद से दिनांक 31.12.2004 को त्यागपत्र देकर उसी फर्म में दिनांक 01.01.2005 से HUF के कर्ता के रुप में बतौर साझेदार कार्य संभाला । इसके अतिरिक्त राजस्व ने यह नहीं कहा है कि यह फर्म यथार्थ में नहीं है या निर्धारिती बोगस HUF है या निर्धारिती त्यागपत्र देने के उपरांत भी फर्म में CEO के रुप में कार्य कर रहा है, अतः हमारा निष्कर्ष है कि आयकर आयुक्त (अ) ने मैकडॉवल एंड कंपनी लि.(सुप्रा) के निर्णय को लागू करने में त्रुटि की है । मामले का अवलोकन करने के पश्चात तथा राजस्व द्वारा अभिलेख में किसी प्रतिकूल निर्णय प्रस्तुत करने अथवा किसी विशेष कारणों के अभाव में हम आदरपूर्वक माननीय आधिकारिक उच्च न्यायलय (सुप्रा) के कायम रखे निर्णय का अनुसरण करते हैं । निर्धारिती ने 31.12.2004 को मेसर्स हाइजिनिक रिसर्च इन्सटीट्यूट से त्यागपत्र दिया है, अतः निर्धारिती अधिनियम की धारा 10(10AA)(ii) के अंतर्गत अवकाश नकदीकरण तथा धारा 10(10)(iii) के अंतर्गत ग्रैच्यूटी की राशि पर छूट का हकदार है । तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में उल्लिखित संबंधित उपधाराओं में अधिसूचना द्वारा की जाने वाली किसी गणना तथा सीमा की अनुपलब्धता में हमारा यह मत है कि इस मामले पर हमारे द्वारा दिए गए निदेशों के आलोक में विधि अनुसार निर्धारिती को सुने जाने का पर्याप्त अवसर देते हुए मामला नए सिरे से जांच के लिए निर्धारण अधिकारी के फाइल में वापस भेजा जाना चाहिए । निर्धारिती द्वारा उठाये गए आधारों को सांख्यिकी प्रयोजनों हेतु आंशिक रुप से स्वीकृत किया जाता है ।

11. आधार क्रमांक 2 तथा 3, धाराएं 234 A तथा 234 B के अंतर्गत ब्याज के लेव्ही के विरूद्ध हैं ।

12. विरोधी पक्षों को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात तथा निर्धारिती के विद्वान काउंसेल द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए धाराएं 234 A तथा 234 B के अंतर्गत ब्याज के लेव्ही के विषय में निर्धारिती को अनुवर्ती राहत स्वीकृत की जाती है । हम आदेश को तदनुसार कायम रखते हैं । अतः निर्धारिती के द्वारा उठाए गए आधारों को आंशिक रुप से स्वीकृत किया जाता है ।

13. परिणामतः निर्धारिती की अपील सांख्यिकी प्रयोजनों हेतु आंशिक रुप से स्वीकृत की जाती है ।

आदेश खुले न्यायालय में 27.05.2011 को घोषित किया गया ।

हस्ता/- हस्ता/-

(आर.के. पांडा) **(डी.के. अग्रवाल)**

लेखा सदस्य **न्यायिक सदस्य**

मुंबई, दिनांक 27 मई, 2011.

(अनुदित हिंदी संस्करण, श्री मनीष भोई, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुंबई)

सुलभ न्याय :।
सत्वर न्याय :।।
Easy & Speedy Justice
INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

आयकर अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, की एकल सदस्य न्यायपीठ में

(श्री बी.पी. जैन, माननीय लेखा सदस्य के समक्ष)

आयकर अपील सं. 119/इला./2011

निर्धारण वर्ष - 2001-2002

श्री राधेश्याम अग्रवाल,	------बनाम----	आयकर अधिकारी, 6(4) बांदा
मे. के.एल. फिलिंग स्टेशन,		
कल्पाहार, महोबा		
(अपीलार्थी)		**(प्रत्यर्थी)**
अपीलार्थी की ओर से	----------	श्री अभिनव मेहरोत्रा चार्टर्ड एकाउन्टेंट
प्रत्यर्थी की ओर से	----------	श्री वाई.पी. श्रीवास्तव विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई की तिथि	----------	06.09.2011.
उद्घोषणा की तिथि	----------	09.09.2011.

आदेश

बी.पी. जैन द्वारा

निर्धारिती की यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त(अपील)-II, कानपुर के निर्धारण वर्ष 2001-02 हेतु पारित आदेश दिनांक 29.03.2011 से उदभूत हुई है ।

2. निर्धारिती ने अपील का निम्नलिखित अतिरिक्त आधार उठाया हैः-

"यह कि आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के अंतर्गत नोटिस आयकर अधिनियम की धारा 143 (2) में निर्धारित समयावधि के पश्चात जारी किया गया है तथा इस कारण से अवैध है व इसके परिणाम स्वरुप पारित निर्धारण आदेश भी अकृत एवं शून्य हो जाता है ।

3. निर्धारित के विद्वान सलाहकार, श्री अभिनव मेहरोत्रा ने तर्क दिया कि एन.टी.पी.सी. बनाम आयकर आयुक्त 229 आई.टी.आर. 383 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय के अनुसार किसी भी स्तर की अदालत में उठाया जा सकता है । चूंकि उक्त विधिक आधार मामले की तह तक जाता है,

इस अतिरक्त आधार को स्वीकार किया जाए । तदनुसार उन्होने अतिरिक्त आधार को स्वीकार करने की प्रार्थना की ।

4. राजस्व का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान विभागीय प्रतिनिधि श्री एम.पी. श्रीवास्तव ने अतिरिक्त आधार को स्वीकार किए जाने का कोई विरोध नहीं किया ।

5. मैंने दोनो पक्षों के तर्कों को सुना । अतिरिक्त आधार, विधिक मुद्दा है जो कि मामले की तह तक जाता है । तथा एन.टी.पी.सी.(उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए निर्णय के अनुसार किसी भी स्तर की अदालत में उठाया जा सकता है इसलिए विधिक मुद्दा होने के कारण, निर्धारिती द्वारा उठाया गया अतिरिक्त आधार स्वीकार किया जाता है ।

6. निर्धारिती के विद्वान सलाहकार श्री अभिनव मेहरोत्रा चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा निर्धारण अधिकारी के आदेश के पृष्ठ 01 के तथ्यों पर तर्क प्रस्तुत किए गए कि उक्त मामला बोर्ड निर्देश सं. 10/2002, जो संयुक्त आयकर आयुक्त के पत्र दिनांक 07/10/2002 द्वारा संप्रेषित किया गया, के अंतर्गत समीक्षा हेतु लिया गया । धारा 143(2) तथा 142(1) के अंतर्गत नोटिस दिनांक 06.11.2011 एवं 08.01.2002 को जारी किए गए जो वास्तव में निर्धारिती पर कभी तामील किए ही नहीं गए । इसके अतिरिक्त श्री मेहरोत्रा ने तर्क भी दिया कि निर्धारण अधिकारी मामले को समीक्षा हेतु बोर्ड के निर्देश के पश्चात ही उठा सकते थे जो संयुक्त आयकर आयुक्त के पत्र दिनांक 07/10/2002 द्वारा संप्रेषित किया गया, न कि इससे पूर्व जबकि निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 06.11.2001 तथा 08.01.2002 को तामील कराये जाने का दावा किए जाने वाले नोटिस बोर्ड के निर्देश की प्राप्ति से पहले की तिथि के है । धारा 143(2), 142(1) के अंतर्गत नोटिस जारी करने की निर्धारित समयावधि दिनांक 31.10.2002 को समाप्त हो गई । इसलिए कृत निर्धारण बिना नोटिस की तामील के किया गया जो विधि की दृष्टि से त्रुटिहीन तथा रद्द किए जाने योग्य है ।

7. दूसरी तरफ विद्वान विभागीय प्रतिनिधि, श्री वाई.पी. श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि नोटिस निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही तामील किए गए तथा उन्होने निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया ।

8. मैंने पक्ष तथा विपक्ष के तर्कों को सुना व मामले के तथ्यों का अवलोकन किया । स्पष्टता के उद्देश्य से निर्धारण अधिकारी के आदेश के पृष्ठ 1-पैरा-1 को नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा हैः-

“132710/- रुपये की कुल आय की घोषणा करने वाली आय विवरणी दिनांक 31/10/2001 को, व्यक्तिगत विवरणी के तौर पर लेखा रिपोर्ट, लेखाकृत तुलन पत्र पी.एंड.एस. लेखा तथा काम 16 ए इत्यादि के साथ दाखिल की गई थी । आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(1) के तहत दाखिल विवरणी पर दिनांक 06.11.2001 को कार्रवाई की गई तथा रू. 230/- की राशि की वापसी स्वीकार्य

की गई । बाद में मामले को आयकर आयुक्त-II, कानपुर के अनुमोदन से बोर्ड के निर्देश सं. 10/2000, जो कि संयुक्त आयकर आयुकत, रेंज-6 कानपुर के पत्र फा. सं. जेसीआईटी/आर6/के.एन.पी./2002-03, दिनांक 07.10.2002 द्वारा भली-भांति संप्रेषित किया गया, के अनुसार समीक्षा द्वारा पूर्ण करने हेतु लिया गया । इसके पश्चात आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(2) व 142(1) के अंतर्गत नोटिस दिनांक 06/11/2001 जारी किए गए तथा उनकी निर्धारती पर तामील की गई । धारा 142(1), 143(2) के अंतर्गत अन्य नोटिस दिनांक 08/01/2002 को जारी तथा तामील किए गए । इन वैधानिक नोटिसों के प्रत्युतर में निर्धारिती के सलाहकार अधिवक्ता श्री संजय गुप्ता ने समय-समय पर उपस्थित होकर वांछित विवरण व सूचना प्रदान की । परीक्षण हेतु केवल खाता बही प्रस्तुत की गई । रोकड़ पुस्तिका तथा मोबिल आईल पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई । धारा 142(1) के नोटिस दिनांक ...3...17/3/2004 के अनुलग्नक द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया । मामले पर उनके साथ चर्चा की गई ।

9. बोर्ड के उपरोक्त निदेशानुसार निर्धारण अधिकारी को मामले की समीक्षा 07/10/2002 को किया गया था उसके बाद परन्तु 31/10/2002 से पूर्व, जिस दिन धारा 143(2) के अंतर्गत नोटिस दिए जाने की समयावधि समाप्त हो रही थी उठाना चाहिए था । चूंकि विवरणी दिनांक 31/10/2001 को दाखिल की गई, दिनांक 07/10/2002 से 31/10/2002 तक कोई नोटिस तामिल नहीं किया गया तथा विद्वान विभागीय प्रतिनिधि इस अवधि के दौरान नोटिस की तामील किया जाना साबित करने वाली कोई सामाग्री नहीं है, मामले की परिस्थितियों व तथ्यों के अनुसार धारा 143(2)/142(1) के अंतर्गत नोटिस तामील किए बिना निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण किया गया माना जाता है जो कि विधि की दृष्टि से त्रुटीपूर्ण है तथा इसे निरस्त किया जाता है । निर्धारिती द्वारा उठाया गया अतिरिक्त आधार स्वीकार किया जाता है ।

10. निष्फल होने के कारण अपील ज्ञापन में उठाए गए अन्य आधारों के गुणावगुण पर विचार नही किया जा रहा है ।

11. परिणामस्वरुप आयकर अपील सं. 119/इला./11 में निर्धारिती द्वारा की गई अपील स्वीकार की जाती है ।

12. आदेश दिनांक 06/09/2011 को खुली अदालत में उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-

बी.पी. जैन

दिनांक- 06.09.2011 लेखा सदस्य

(अनुदित हिंदी संस्करण, श्री मनोज कश्यप, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, इलाहाबाद)